

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 752वीं बैठक दिनांक 16/05/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षयक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No. P2/630/24 Shri Bhagwan Meena, Leessee, R/o- ward no. 04, Kumbhraj, District- Guna, M.P - 473222, Prior Environment Clearance for Kumbhraj Murrum Quarry, lease area of 1.00 hectare, at Khasra No. - 551/2 (Govt. land) Village - Kumbhraj, Tehsil- Kumbhraj, District- Guna (M.P.). B2 Case.

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह मीना एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Bhagwan Singh Meena S/o Shri Tulshiram Meena, R/o- Ward No. 04, Kumbhraj, District-Guna(M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	551 / 2 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.0 Ha.
स्थल	Village-Kumbhraj, Tehsil-Kumbhraj, District-Guna (M.P.).	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्रकमांक 706-07 दिनांक 17/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष—01 / 02 / 2024, क्षमता— 5000 घनमीटर / वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी—2 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापति, रस्थल का नाम— कुंभराज, दिनांक— 29 / 04 / 2024		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम—5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।		
500की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 110 दिनांक 12 / 02 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 00 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 110 दिनांक 12 / 02 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको संसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला गुना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 110 दिनांक 12 / 02 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, रामट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	निकाय/नदी—लगभग 100 मीटर की दूरी पर है एवं तालाब/बांध/स्टॉपकच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	केशर प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— नदी लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, कच्चा रोड लगभग 370 मीटर की दूरी पर स्थित है।</p> <p>दक्षिण दिशा— पक्का रोड लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। जिससे 30 मीटर का सेटबेक दिया गया है। कुल सेटबेक 50 मीटर छोड़ने के बाद माईनेबल क्षेत्र 0.42 हेक्टेयर एवं सेटबेक क्षेत्र 0.58 हेक्टेयर हैं।</p> <p>पश्चिम दिशा— 105 मीटर की दूरी पर शमशान घाट स्थित है। रहवासी क्षेत्र लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	14 / 03 / 2024
SEAC प्रस्तुतीकरण	पहले परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह मीना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव मैसर्स ग्रीन सर्कल इंक थे, लेकिन कुछ कारणों के बजह से परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह मीना एजीएस एनवायरनमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत करते हुए परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ईएमपी रिपोर्ट की जिम्मेदारी दी। शपथ पत्र सेक को मेल किया गया है एवं प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शाये गये वर्ष—वार प्रोडक्शन प्लान देखने से स्पष्ट होता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की माईनिंग गतिविधि प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम — 5,000 घनमीटर/वर्ष।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

2. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.35. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.13 लाख प्रति वर्ष

6. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost(in Rs)	
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION				
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	21,690	-	
1(b)	Water requirement- 0.482 KLD , Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.			
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (100m in length x 6m in width)	1,00,000	20,000	
3.	PLANTATION SCHEME			
	Plantation within lease @ Rs. 200/plant. (300 plants x 200 Rps=60,000/-)	Plantation Along the Approach Road @ Rs. 300/plant (150 plants x 300 Rps=45,000/-)	1,42,500	15,000
	Plants to be distributed in nearby villagers @ Rs. 50/plant.			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	(750 plants × 50 Rps=37,500/-)		
4	Garland Drains (1.5m Wide,2m Deep & 740 m Long) Two Settling Tanks are of 4 m wide, 15m long & 2.5 m deep.	60,000	5,000
5	Wire fence (735 m) @200 rupees/meter.	1,47,000	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler)	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000×2.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 8 Labors -8× 500 × 2)	-	8,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 8 workers – 8 × 1500).	12,000	2,000
12	Shelter rooms for labors (10×20)=200 Square feet	60,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system.	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)	-	2,000
15	<ul style="list-style-type: none"> • Fodder plot & Grazing Land development. • Sowing Safed Castor ,babool & neem Seeds Etc. along the excavated garland drain. 	5,250	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar lights, (@ Rs. 8000/light) 2. 2 Web Camera, (per camera.@3500rupees) 3. Display Board at mine entrance.	22,000	-
	TOTAL	6,35,440 /-	1,13,000/-

- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम कुंभराज के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	40,000/-

7. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्रीट्रॉडर्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
योग			1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड इंजन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीड़बाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

2. Case No. P2/710/24 Shri SHARAD BANSAL, Lease Owner, R/o- Station Road Ward no-07, near allahabad bank, Post- jaitwara 163, District- Satna(M.P.) Prior Environment Clearance for Laterite Mine in an area of 11.655 ha. (Ocher-30,000 TPA & Laterite-1,50,000 TPA) (Khasra No. 17/1(P), 18, 19/1(P), 19/2(P), 20/1, 20/2(P), 20/3(P)) Village- Batahara, Tehsil- Birsinghpur, District- Satna, (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri SHARAD BANSAL, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri SHARAD BANSAL, Lease Owner, R/o- Station Road Ward no-07, near allahabad bank, Post- jaitwara 163, District- Satna(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	17/1(P), 18, 19/1(P), 19/2(P), 20/1, 20/2(P), 20/3(P) (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लेंड)	11.655 hectare.
स्थल	Village- Batahara, Tehsil- Birsinghpur, District- Satna, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 5070 दिनांक 11/08/2020 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/ सॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ocher-30,000 TPA & Laterite-1,50,000 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Ocher-30,000 TPA & Laterite-1,50,000 TPA है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 412 दिनांक 14/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रक्खा 13.374 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 412 दिनांक 14/02/24 अनुसार नहीं, ईको सेंसेटिव जोन	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	रानीपुर अभ्यारण उत्तरप्रदेश से आवेदित स्थल 1.730 कि.मी. दूरी पर पाया गया और आवेदित क्षेत्र बीट ओरमानी के वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक पी-876 की वन सीमा से 0.0 मीटर क्षेत्र पर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 412 दिनांक 14/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत प्रतापुर जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 31/07/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-171 के सरल क्रमांक-176 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेप्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. Case No. 9352/22 M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil - Mhow, District Indore (M.P.). Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (Expansion Stone Quarry from 22022 Cum per annum to 75000 Cum per annum) (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) EIA.

प्रस्तावित खदान B1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक बासा बिल्डकॉन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	बासा बिल्डकॉन पार्टनर श्री अबुल वकार पिता श्री अब्दुल कलाम, निवासी -9, जुमेरा कॉम्प्लेक्स, नियर होटल मनाल, ए.बी. रोड, वि वास बजारी, पोस्ट भाटखेड़ी, तहसील-महुं, जिला इन्दौर म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1022/2 (नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 हेक्टर भासकीय भूमि
स्थल	ग्राम खेड़ा, तहसील पीथमपुर, जिला धार

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक -1647/उ.प./न.क./04/खनिज/2019-20, दिनांक 12.06.2019 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 48/DEIAA/2017 दिनांक 09.02.2017 के द्वारा पत्थर-22,002 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 75,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम- 75,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 27.00 है. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1326/खनिज/2022-23 दिनांक 30.09.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टेन, दूरद नि, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका पीथमपुर, जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 520/पंचा/07, दिनांक 24.05.2007 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के समीप स्थित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 10 जिनको नहीं काटा जायेगा

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

गूगल ईमेज के अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा में 300 मीटर पर कच्ची सड़क है दक्षिण दिशा – 235 मीटर पर औद्योगिक क्षेत्र है उत्तर -पश्चिम दिशा में 325 मीटर आबादी क्षेत्र है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-29 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	27.09.2023 को जनसुनवाई का आयोजन हुआ जिसमें लोगों को कोई आपत्ति नहीं है

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/ कोर्डिनेट्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

4. Case No. P2/711/24 Shri Abhinay Badkul, Partner, M/s R K STONE CRESHAR, 10/116 KACHCHA ROAD PATHAK WARD BINA STATION SAGAR (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.50 ha. (60,000 cum per annum) (Khasra No. 463/1 Part) Village- Behrana, Tehsil- Bina, District- Sagar (M.P.) TOR

प्रस्तावित पथर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 16 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. के. स्टोन पार्ट. श्री अभिनव बड़कुल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Ms R.K.Stone Crusher, Partner- Shri Abhinav Badkul, R/o- Pathak Ward Bina, Tehsil-Bina, District-Sagar(M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	463 / 1 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.50 hectare.
स्थल	Village-Behrana, Tehsil-Bina, District-Sagar (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 6260 दिनांक 21 / 12 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं	वर्ष- 08 / 01 / 2024, क्षमता- 60,000 घनमीटर/वर्ष,	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

मात्रा।			
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी— 1 ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – स्वाति नामदेव, स्थल का नाम— बेहराना, दिनांक— 07 / 03 / 2024		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 60,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 60,000 घनमीटर / वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 406 दिनांक 01 / 03 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.613 हे. होता है, अतः प्रकरण बी— 1 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 406 दिनांक 01 / 03 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 406 दिनांक 01 / 03 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । मानव बसाहट 350 मीटर, शोक्षणिक संस्थान 400 मीटर एवं श्मशान 200 मीटर कि दूरी पर स्थित है ।		
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेहराना जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 07 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— मानव बसाहट 200 मीटर।</p> <p>दक्षिण दिशा— में 280 मीटर पर वेयर हाउस है।</p> <p>पश्चिम दिशा— मानव बसाहट 215 मीटर एवं पक्का रोड 263 मिटर दूरी पर पक्का रोड स्थित है।</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	15 / 03 / 2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— 94 के सरल क्रमांक— 207 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30 / 04 / 2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

5. Case No. 9889/23 Shri Jeewan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)-452020. Prior Environment Clearance for Stone Quarry, Murrum, M-sand in an area of 3.44 ha. (Stone 17,236 m3/year, Murrum 11,725 & M-sand 17,236 m3/year) (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3), Vill.- Kampel, Tehsil- Khudel, District- Indore (M.P.). EIA

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री जीवन पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Jeewan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)-452020 मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस पार्टनर श्री जीवन पटेल सी—30 मंगल स्टेट शुभलाभ वैली जिला—इंदौर (म.प्र.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	निजी (स्वयं की) —नॉन फॉरेस्ट लेंड	3.44 Hectare.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

स्थल	खसरा नंबर 2471, 2574, 2573 / 4, 2573 / 1, 2573 / 3, ग्राम—कम्पेल, तहसील— खुड़ैल, जिला— इंदौर (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 372 दिनांक 08 / 02 / 2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी—1
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर	सेक की 644 वीं बैठक दिनांक 12 / 05 / 2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 593 दिनांक 06 / 06 / 2023 के द्वारा मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 17,236 घनमीटर/वर्ष पत्थर, 11,725 घनमीटर/वर्ष मुर्म और 17,236 घनमीटर/वर्ष एम—सैंड हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 17,236 घनमीटर/वर्ष पत्थर, 11,725 घनमीटर/वर्ष मुर्म और 17,236 घनमीटर/वर्ष एम—सैंड है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12 / 09 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 10.818 होता है, अतः प्रकरण बी—1श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12 / 09 / 2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1736 दिनांक 12 / 09 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कम्पेल जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 19 / 08 / 2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र के अन्दर है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed - No

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा— 10 मीटर दक्षिण में हॉल रोड है जिसका आगे दक्षिण पूर्व दिशा में कोई भी गाँव से जुड़ाव नहीं है लीज क्षेत्र में पहले से क्रेशर एम सैंड प्लांट स्थित है जो की बंद पड़ा हुआ है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—55 के सरल क्रमांक—06 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 04/09/2023 को संपन्न हुई पानी का छिड़काव हो, परिवहन नियंत्रित गति में हो, रोजगार मिले, वृक्ष रोपण किया जाये, उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना /सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेंडर्ड शर्तों संलग्न क—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 17,236 घनमीटर/वर्ष पत्थर, 11,725 घनमीटर/वर्ष मुर्म और 17,236 घनमीटर/वर्ष एम—सैंड
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 17.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.93 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars For environment Protection	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	A. Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	80,000	10,000
	B. Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 910m Long) 5 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern. Sedimentation tank	1,41,000 40,000	10,000
3	A Development and maintenance of WBM approach Road length approx. 20 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs 600 / meter	12,000	10,000
4	contribution in Widening and maintenance of the existing approach road (Road length approx. 620m, Width 5.5m- (edge to edge excluding shoulders) including the provision of rumble strips (@Rs1,000 each) and construction of a curve (minimum 10m dia @ Rs 10,000) at T junction where approach road meets the main road	62,000	5,000
5	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@ 5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr	NIL	50,000
6	Plantation A. Within Lease Area in Barrier Zone (950m) @ 150rs./tree (Total 950nos) covering the whole periphery of mine lease area B. Outside the Lease Area (along approach road 20 m) (including the Cost of tree guard for the plant)@500rs./tree (14nos) C. Outside the Lease Area in the Govt. Land- 100nos. @Rs150/tree. D. Distribution to the nearby Farmers & villagers. 3050nos. @Rs 50/tree. E. Cost of fertile soil to be brought from outside @ Rs 250 per cubic meter. Each tree to take approx. 0.124 cubic meter, therefore approx. 120 cubic meters to be utilized in the plantation 964trees F. Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	1,42,500 20,000 15,000 1,52,500 51,500 5,000	10,000 - - - -
7	Wire fence (990 m long) (@Rs 500/m)	4,95,000	10000
8	PUC certification of vehicles (06 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	3,000
9	Wind breaking wall : Total 125m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	62,500	5,000
11	Drinking Water Facility and rest shelter (10x15 ft.) with solar light	50,000	8,000
12	Two numbers toilet (12500X 2)	25,000	2,000
13	Occupational health checkup for workers and villagers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 15	Nil	30,000
14	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in drilling works for max 2 workers only - (15 x Rs 2000+Rs 4,000 for safety harness @ Rs 2000 per set)	34,000	5,000
15	Vocational Training for 15 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)(twice in the year)	-	15000
Emergency Rescue Plan			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

17	Fire Fighting Equipments (2 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	42,000	10,000
18	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	9,000	5,000

Solid Waste Management

16	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	5,000
	b) Transport of Dry Waste	2,000	

Extra Other Budget

17	Contribution in cluster management plan	-	25,000
18	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers for carbon sequestration/for the reduction of carbon 500 nos. @Rs100/bulb	50,000	-
19	For Crusher Pollution control Equipment	3,00,000	50,000
	Total	17,89,000	2,93,000

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि :- 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर ग्राम कम्पेल में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 03 माह के भीतर जमा की जावेगी।	1,20,000/-
कुल	1,20,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4128 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:—आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, सीताफल आदि	950
1	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्ब इत्यादि।	40
2	पानी की टंकी के चारों	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू	40

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	तरफ वृक्षारोपण	कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	
3	ग्राम कम्पेल में स्थिल स्कूल परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रजीवा, मोलश्री, सिस्सू कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	पास के गाव के लोगों को एवं आस पास में स्थिल खेतों के किसानों को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- संतरा, आमला, नींबू सीताफल, आम, अनार, मुनगा, कटहल आदि।	3050
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

6. Case No. P2/633/24 Shri Bhupendrapal Chhabra, S/o Keshar Singh Chhabra, Proprietor. M/s Shri Govind Construction ward no 1, amarkantak road, near ataldwaar, dhanpuri, Belbahra, Burhar, Shahdol, (M.P.). 484110, Prior Environment Clearance for Tarang Stone Quarry Lease, Capacity – 50,274 Cubic Meter Per Year, Area - 3.608 ha, Khasra No. - 496/1, at Village- Tarang, Tehsil -Pushparajgarh, Dist.- Anuppur, (M.P.). ToR Case(DEIAA to SEIAA.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतिक एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bhupendrapal Chhabra, Proprietor. M/s Shri Govind Construction एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकारश्री वरुण भारद्वाज एंव रशिमसारस्वत मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंटकंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.)उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजनाविवरण	परियोजनाप्रस्तावक द्वाराप्रस्तुतदस्तावेज
परियोजनाप्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Bhupendrapal Chhabra,S/o Keshar Singh Chhabra,Proprietor.M/s Shri Govind Constructionward no 1, amarkantak road, near ataldwaar, dhanpuri, Belbahra, Burhar, Shahdol, (M.P.).484110,Prior Environment Clearance forTarang Stone Quarry Lease,Capacity–50,274 Cubic Meter Per Year,Area-3.608ha, Khasra No. - 496/1, at Village- Tarang, Tehsil -Pushparajgarh, Dist.- Anuppur,

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	(M.P.).SIA/MP/MIN/451246/2024.
परियोजना का खसरानं./लीज क्षेत्रफल	खसरानं.-496/1, एरिया—3.608ha., शशासकीयभूमि
परियोजनास्थल	Village- Tarang, Tehsil -Pushparajgarh, Dist.- Anuppur, (M.P.).
Description of Project	Quarry Lease Sanctioned to M/s Shri Govind Construction Prop. Bhupendra Pal Singh Chhawada by Collectorate Office (KhanijShakha) Anuppur (M.P), A Vide Order No. Kr. 19/Khanij/U.P/2017/2113, Anuppur dated 05.09.2017.
सैंधातिकसहमति	पत्र क्र. 2117दिनांक05/08/2017.
पर्यावरणीय स्वीकृति	Fresh ToR.
टॉरस्थिति	प्रस्तावित।
खनन् कार्यब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	Controlled Blasting.
डिया द्वाराजारीई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC issued by DEIAA Anuppur vide letter no. 2213 dated 22/08/2017. (StoneQuarry - 50,274Cubic Meter Per Year),
उत्पादन क्षमता	Stone - 50,274 Cubic Meter Per Year,
परियोजना के 500 मीटर की परिधि मेंसंचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—सिंगरौलीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1682दिनांक16 / 10 / 2023अनुसार 500 मीटर की परिधि में04अन्य खदानस्वीकृतहै, जिनकोमिलाकरकुलरकबा10.482हे. होताहै, अतः प्रकरणबी—1 श्रेणी के अंतर्गतआताहै।
परियोजना के संबंध मेंडीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—सिंगरौलीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1682 दिनांक 16 / 10 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि मेंनेशनलपार्क / अभ्यारण्य / ईकोसेंसेटिवजोनजैवविविधता एवं 250 मीटरमेवन क्षेत्र स्थिलनहींहै।
परियोजना के संबंध राजस्वजानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—सिंगरौलीके एकलप्रमाण—पत्र क्रमांक1682 दिनांक 16 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि मेंमानवबसाहट, शैक्षणिकसंस्थान, नालाइत्यादिस्थिलनहींहै।
ग्रामसभा / ग्रामपंचायत / नगरपरिषद्	कार्यालय ग्रामपंचायत—तरंग, जिला—सिंगरौलीद्वाराजारीठहरावप्रस्तावक्र. 254 / 2023 दिनांक08 / 08 / 2023 द्वाराअनापत्तिपत्र जारीकियागयाहै।
जल / वायुसम्मति	After Grant of EC

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

जिलासर्वेक्षणरिपोर्ट की स्थिति	परियोजनाप्रस्तावक ने बतायाकि इस खदान का विवरणजिले की अनुमोदितनवीनजिलासर्वेक्षणरिपोर्ट के पेजनं.-24 के सरल क्रमांक-14पर दर्ज है।
--------------------------------	---

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No. 10588/23 Shri Sumnt Goswami, Partner, M/s DEVINE MINES AND MINERALS, Jabalpur main road, rai colony, vindhya vasini mata mandir ke pass, homu colony ward, Murwara, district- katni Prior Environment Clearance for DOLOMITE Mine in an area of 2.05 ha. (50298 TPA) (Khasra No. 09,13) Village-Jamuniya, Tehsil- Badwara, District-Katni (M.P.) EIA

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अलोक जैन (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	“Jamuniya Dolomite Mine” of M/s Devine Mines and Minerals ”, Sumnt Goswami (Partner), R/o- B-23, Kasturba Nagar, Govind District - Bhopal (M.P)-483501	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड) 9 – 13,	2.05 hectare.
स्थल	Village-Jamuniya, Tehsil-Badwara, Distt. -Katni, State-Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी और खनिकर्म, (म.प्र.), भोपाल Kr./16207-08/Khanij/31/U.P./N. K.-38/2022, Bhopal dated 25/11/2022	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं	
टॉर	सेक की 690 वीं बैठक दिनांक 17.10.2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2189/SEIAA/2023 दिनांक 05.12.2023 के द्वारा डोलोमाइट 50,298 ज्वल्नंत के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट 50298 T/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 50298 T/Year है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1974 khanij/khap/2023 दिनांक 28/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 16.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला . कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1974 khanij/khap/2023 दिनांक 28/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं १६० मीटर पर र.फ.—४६० उत्तर दिशा में स्थित है । उक्त क्षेत्र वन सीमा से 250 मीटर के परिधि के अंदर स्थित होने के कारण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सषर्त अनापत्ति प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है और 10 किलोमीटर की परिधि में शेष अन्य नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1974 khanij/khap/2023 दिनांक 28/08/2023 500 मीटर की परिधि में शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है । आवेदित क्षेत्र से लगभग २०० मीटर की दूरी पर कतिपय व्यक्तियो द्वारा अपनी निजी भूमि पर मकान निर्माण किया गया है, जो की राजस्व अभिलेख में अभिलिखित नहीं है। और ग्रामीण कच्चा रास्ता २८० मीटर की दुरी से गुजरा है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भदावर जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक ०९./ग्रा प. /2022 दिनांक 18.08.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्ताविस्थित पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 18 पेड ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 02 पेड ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये पेड़ों की संख्या 20 पेड .
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पूर्व दिशा – आबादी 180 मी. पर 20 मी. का स्थानवार मापदण्ड पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया गया है उत्तर दिशा – कच्ची सड़क – 280 मी. पर

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-69 के सरल क्रमांक-46 पर दर्ज है।
जन सुनवाई	जमुनिया की पंचायत में 01 हैंडपंप की वयवस्था कराये जाने के कहा गया है। समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 50,298 Ton/Year
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
 6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.55 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.39 लाख प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	NIL	50,000
1 (b)	Cost of water of 2,100 ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	94,500

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

2	Garland Drain is proposed (366m x 1.5m x 1.5m) 1. Settling tank is 15m x 04m x 1.5m (02Nos.)	1,00,000	10,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (200m X 5m) @500/sqm	5,00,000	50,000
4	Plantation within 7.5m barrier area@ Rs. 200/plant [700 x Rs.200= 1,40,000]	2,95,500	29,550
	Plantation in Village and school 1210 @ Rs. 50/plant. [1,210 XRs. 50=60,500]		
	Plantation in approach road @ Rs. 500/ plant. Total Plantation in approach road- 140 [140 X Rs. 500=70,000]		
	Plantation within Buffer zone up to 50 meters from boundary 500@Rs. 50/plant [500 X Rs. 50=25,000]		
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water once in a year) 1,50,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler) &Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15,000X2 and Rs. 1,000/year for maintenance.	30,000	3,000
8	Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)	NIL	10,000
9	First Aid Box & Firefighting equipment's @25,000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	50,000	5,000
10	PPEs for other mining operations for 10 workers+ (2 Extra) =12@ Rs. 1500/worker	18,000	1,800
11	Shelter rooms for labors (10*10) =100Square feet @Rs.800/square ft.	80,000	8,000
12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	10,000	2,000
13	Half yearly PUC certification for 15 trucks @1000/truck	NIL	15,000
14	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development &maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37000	NIL
		3,25,000	3,250
15	Wind Breaking Wall (04m height of MS Sheet) as crusher is not proposed within the lease (@ Rs. 3000/m)	Crusher is not proposed within lease area	
16	Vocational Training for 10 Worker (min. @ Rs. 500 /labor)	NIL	5,000
17	Distribution of LED bulb for carbon sequestration	50,000	
18	Deepening of pond	50,000	
	Total	15,55,500/-	4,39,100/-

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जमुनिया एवं गुढ़ा जमुनिया के स्कूल में बच्चों के बैठने हेतु बैंच और डेस्क की व्यवस्था करेगा	20,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जमुनिया एवं गुढ़ा जमुनिया के आंगनवाड़ी के उन्नयन हेतु	10,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जमुनिया एवं गुढ़ा जमुनिया के स्कूल के उन्नयन एवं मरम्मत हेतु	25,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जमुनिया एवं गुढ़ा जमुनिया के पंचायत एवं ग्रामीण की अनुसार	15,000/-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम जमुनिया एवं गुढ़ा जमुनिया के पंचायत की मदद से 01 हैंडपंप के साथ चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्डिंग पिट की व्यवस्था की जाएगी।	50,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2550 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन (निजी भूमि खसरा नंबर , गैर खनन क्षेत्र	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीताफल अशोक मुनगा महुआ एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	700
2	परिवहन मार्ग (200 मीटर) पेड़ों की न्यूनतम उचाई 1.5 मीटर)	शीशम, नीम, अमलतास, जामुन, करंज, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	140
3	जमुनिया, मल्हान, बड़गांव, गांव के घरों में पेड़ों का वितरण किया जाएगा।	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	1190
4	ग्राम जमुनिया के शासकीय विद्यालय।	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
5	50 मीटर तक वन सीमा से बफर जोन	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड इन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. Case No. P2/632/24 Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh). Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year (Khasra No. 30), Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक मुकेश पाटीदार एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्ष मिनटेक, उदयपुर (राज.) उपरिथिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri MUKESH PATIDAR, Project Proponent, Village Silkuwa, Tehsil Dahi, Dist. Dhar (Madhya Pradesh)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	30 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village Tana, Tehsil Kukshi, Dist. Dhar	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 1157 दिनांक 30/8/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 18 दिनांक 09/2/2017 के द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone (Gitti) – 11,738 m3/Year घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं हैं ।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2571 दिनांक 28/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में लगभग 50 मीटर पर नाला स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चिप्राटा जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 08/04/2012 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण धार जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन—लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित् की जा सके।

9. Case No. P2/634/24 Shri RAGHUVeer PUSHPKAR, Leessee, VILLAGE MAWAI, POST - MAWAI, TIKAMGARH (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (Khanda-1000m3, Stone Boulder- 6002m3And M-Sand- 3000 m3) (Khasra No. 3330/1, 3330/3) Village – Mavaikhas, Tehsil – Tikamgarh, District – Tikamgarh (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रघुवीर पुष्पकार पुत्र श्री चंदनलाल पुष्पकार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रघुवीर पुष्पकार पुत्र श्री चंदनलाल पुष्पकार ग्राम मबई, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	3330/1, 3330/3 (निजी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	हेक्ट. 1.00 अनुबंध पत्र
स्थल	ग्राम मबई, तहसील टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 16269/खनिज/उ.प./न.क. 4/2022, दिनांक 21/12/2023 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।																								
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,002 घनमीटर/वर्ष (खण्डा-1000, स्टोन बोल्डर-6002, एम-सेंड -3000) हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10,000 घनमीटर/वर्ष है।																								
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1472 दिनांक 02/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है ।																								
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1472 दिनांक 02/03/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।																								
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1472 दिनांक 02/03/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।																								
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हसनाबाद जिला टीकमगढ़ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 6 दिनांक 16/08/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।																								
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुल 50 वृक्ष हैं। <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>वृक्ष का नाम</th> <th>गर्थ (से.मी.)</th> <th>वृक्ष का स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5</td> <td>तेजा</td> <td>20.25</td> <td>बैरियर जोन</td> </tr> <tr> <td>6.14</td> <td>बबूल</td> <td>16.20</td> <td>बैरियर जोन</td> </tr> <tr> <td>20.40</td> <td>छेवला</td> <td>20.28</td> <td>1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।</td> </tr> <tr> <td>40.45</td> <td>नीम</td> <td>20.25</td> <td>बैरियर जोन</td> </tr> <tr> <td>45.50</td> <td>महुआ</td> <td>30.35</td> <td>माइनिंग जोन में है।</td> </tr> </tbody> </table> <p>केवल 30 वृक्ष माइनिंग जोन में हैं जिन्हे काटा जाएगा एवं इनके स्थान पर दस गुना अर्थात् 300 वृक्ष अतिरिक्त इन्हीं प्रजातियों के लगाए जाएंगे</p>	क्रमांक	वृक्ष का नाम	गर्थ (से.मी.)	वृक्ष का स्थान	1.5	तेजा	20.25	बैरियर जोन	6.14	बबूल	16.20	बैरियर जोन	20.40	छेवला	20.28	1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।	40.45	नीम	20.25	बैरियर जोन	45.50	महुआ	30.35	माइनिंग जोन में है।
क्रमांक	वृक्ष का नाम	गर्थ (से.मी.)	वृक्ष का स्थान																						
1.5	तेजा	20.25	बैरियर जोन																						
6.14	बबूल	16.20	बैरियर जोन																						
20.40	छेवला	20.28	1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।																						
40.45	नीम	20.25	बैरियर जोन																						
45.50	महुआ	30.35	माइनिंग जोन में है।																						
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— रोड, 350 मी. पर है। आबादी — 395 मी. पर है । पूर्व दिशा— पॉवर सब स्टेशन 325 मी. पर है।																								

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

आबादी – 395 मी. पर है।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1484 दिनांक 04 / 03 / 2024 अनुसार उक्त उत्थनिपट्टा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने उपरान्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 10,002 मी.³
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
- 4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14,79,500/- एवं रिकरिंग राशि रु. 2,77,800/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 2000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	25,800
2	Garland Drain is proposed(489m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 489	2,44,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 1050 x Rs.200	8,67,000	86,700
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (400 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 400m x 5m) @500/sqm	2,00,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/18 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 18 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	18,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 18 worker@ Rs. 1500/worker	27,000	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 4 trucks @1000/truck	-	4000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	Nil	Nil
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 12 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	6000
18	Distribution of LED bulb for carbon reduction	50,000	Nil
19	Barrier zone restoration / Backfilling	50,000	Nil
Total		14,79,500	2,77,800

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय कन्या माध्यमिक शाला मवई में अधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 /—

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1550 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिस्सू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1050
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, अमलतास, पुत्रनजीवा, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
4	शास. अंकुर योजना के तहत मवईखास ग्रामवासियों में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P2/713/24 Shri Praveen Kumar Agrawal, Partner, CHARHUJA INFRA CONSTRUCTION COMPANY, R/o-Sitamau Fhatak, Mandsaur, District-Mandsaur, M.P Prior Environment Clearance for Stone and M-Sand in an area of 1.0 ha. (Stone – 5000 m3/Year and M-Sand – 7000 m3/Year) (Khasra No. 514/1/1), Village – Bilantri, Tehsil & Distt. Mandsaur (M.P.) B-2

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 17.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक चारभुजा इन्फा कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Praveen Kumar Agrawal, Partner, CHARBUJA INFRA CONSTRUCTION COMPANY, R/o-Sitamau Phatak, Mandsaur, District-Mandsaur, M.P .	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	(शासकीय भूमि—नॉन फॉरेस्ट लैंड) खसरा नं. 514/1/1	1.0 Hectare.
स्थल	Village - Bilantri, Tehsil & District-Mandsaur (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 75/खनिज/2024 दिनांक 18/01/2024 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं है।	
टॉर	लागू नहीं है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड—7,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—5,000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेण्ड—7,000 घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 432/खनिज/2024 दिनांक मंदसौर अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 432/खनिज/2024 दिनांक मंदसौर अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 432/खनिज/2024 दिनांक मंदसौर अनुसार 300 मीटर दूरी पर है। उबड—खाबड जगह होने के कारण बारिश में पानी जमा होता है।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बिलांत्री जिला मन्दसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 29 दिनांक 15. 09.2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	एम–सेण्ड केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थिल पेड़ो का विवरण 02 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 02 ● काटे गये पेड़ो के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 20
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा में 100 मीटर की दूरी एक पोल्ट्री फार्म परिलक्षित हो रहा है एवं कुछ आइसोलेटेड शेड एवं घर 100 मीटर एवं 65 मीटर पर परिलक्षित हो रहे हैं जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह पोल्ट्री फार्म बंद हो चूका है एवं आस पास दिख रहे शेड एवं मकान पोल्ट्री फार्म वालों के ही स्टोर रूम एवं ऑफिस थे जो कि अब खाली हैं जिसके प्रमाण हेतु ग्राम पंचायत बिलांत्री दिनांक 01.02.2024 का पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित है कि पोल्ट्री फार्म बंद हो चूका है एवं अनुपयोगी है एवं आस पास दिख रहे घर भी पोल्ट्री फार्म से सम्बंधित थे जो कि अब अनुपयोगी हैं।</p> <p>एकल प्रमाण पत्र के अनुसार उत्खनिपट्टे से 300 मीटर दूर बारिश का पानी इकट्ठा होता है।</p> <p>उत्खनिपट्टे में एक रास्ता परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त रास्ता कोई ग्रामीण रास्ता नहीं है एवं आगे जाकर किसी ग्राम से भी नहीं मिल रहा है अतः यह कच्चा रास्ता नहीं है।</p>
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	नया प्रकरण है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Stone –5000 m3/Year & M-sand 7000 m3/Year
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित मैंने आधारित एम् सैंड प्लांट हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा में दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित एम् सैंड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषण रोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.56 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>	Capital 1 st year	Recurring
1	1 no's of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	50,000	10,000
2	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
3	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 350 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern. And a of Sedimentation Tank for M-sand Three Sedimentation Tanks of 3m X 2m X 2 m each	55,000 45,000	15,000
4	Development of approach Road (Road length approx. 150 m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 500/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	10,000
5	Monitoring twice a year AAQM @10,000/yr, Water@5000/yr, Noise@1000/yr, Soil @4000/yr Plantation (1220 trees will be planted)	NIL	20,000
6	Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year –in periphery of Mine lease boundary (~400no's)	60,000	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1st year- 50 no's on evacuation route up to 150 m (approach road) m both side (@ Rs 500/tree) 1 st year – 50 no's in Village School (@ Rs 150/tree) 2nd year- 720 nos for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25,000 7500 36,000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank .	5,000	1,000
7	Wire fencing (~250 m long) (@Rs 500/m)	1,25,000	50,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

8	Curtaining around the crusher unit : total 150 m long Per sheet required = $150 / 2 = 75$ (per sheet 4m high X 2m width) (@Rs 1000/sheet)	75,000	10,000
9	Expenditure on crusher pollution control equipments	2,50,000	50,000
10	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1,000
Labour Welfare			
11	Drinking Water Facility and rest shelter (15 x 15 ft.) with solar light	60,000	10,000
12	Toilets 2 nos (Male & Female) 12,500 x 2	25,000	5,000
13	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	Nil	16,000
14	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc . 10x 2000) Safety harness belts for the workers in blasting& drilling (@1 belts of Rs 2000)	22,000	4,000
Emergency Rescue Plan			
15	Fire Fighting Equipment's (1Nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	10,000
16	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	2,000
Solid Waste Management			
17	a) Bins 2 Nos @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Pit and Composting	3,000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
	Other		
18	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 300 nos @Rs100/bulb for carbon sequestration.	30,000	
	Total	9,84,000	2,56,000

9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

B.

सी.ई. आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

1.	ग्राम बिलांत्री रिथल शासकीय विद्यालय के विकास हेतु अधोसंरचना विकास योजना के तहत उल्लेखित राशि जमा कर दी जावेगी	1,00,000/-
	योग	1,00,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे. नीम, कालासिरिस, सिस्सू, जंगल जलेबी, सीताफल, चिरोल आदि।	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— जंगल जलेबी, कदम्ब, नीम, करंज, पीपल चिरोल, पुत्रंजीवा आदि।	50
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— आवलौं, कटहल, सीताफल, संतरा आम, पपीता आदि फलदार पौधे।	720
4	शासकीय माध्यमिक शाला बिलांत्री परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर, पुत्रंजीवा, आदि।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट गतों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**11. Case No. P2/714/24 Shri NEEL JAIN, Lessee, D 19 MACHNA COLONY BHOPAL
M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.70 ha. (Stone – 17100
m3/Year) (Khasra No. 89/6), Village- Dongri, Tehsil- Rehti, District- Sehore (M.P.) B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री नील जैन (ऑनलाइन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Neel Jain S/o Shri Nilay Jain Address- D19, Machna Colony, Bhopal (MP)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	89/6 (शासकीय भूमि – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.70 hectare.	
स्थल	Village डोंगरी Tehsil रेहटी, District सीहोर (म.प्र.) Village-Dongri, Tehsil-Rehti, District-Sehore (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 5668–69 दिनांक 08/04/2021 के द्वारा नवीनीकरण ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 27/1/2021, क्षमता- 17,100 घ.मी. / वर्ष, उत्पादित मात्रा-17,100 घ.मी. / वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन स्कीम अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया, बी-2 ।		
पर्यावरण सलाहकार	पर्यावरण सलाहकार – मोहित मालवीय,		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम— डोंगरी दिनांक— 12 / 04 / 2024
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर — 17,100 घ.मी./वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् स्कीम अनुसार 17,100 घ.मी./वर्ष है।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया सीहोर के पत्र क्रमांक 1617 दिनांक 31 / 05 / 16 के द्वारा पत्थर—17100 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 17100 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 17100 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार रातापानी अभ्यारण्य से दूरी 4.20 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमंडल सीहोर जिला सीहोर के प्रमाण—पत्र क्रमांक 2969 दिनांक 26 / 12 / 15 अनुसार रातापानी अभ्यारण्य से दूरी 4.20 किलोमीटर है एवं निकटतम वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक 579 की दुरी 255 मीटर है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 06 / 07 / 23 अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग एवं तालाब, अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम डोंगरी जिला सीहोर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1—9 दिनांक 20 / 06 / 2009 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज के बाहर है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज क्षेत्र में पेड़ हैं। जिसमे से 7 पेड़ काटे जाएंगे जिनके स्थान पर 70 पेड़ नो मार्झिनिंग क्षेत्र पर लागाए गए हैं

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

स्थिति	जिसके साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। बाकी पेड. बैरियर सीमा में स्थित है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— तालाब लगभग 550 मी. दक्षिण पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 135 मी. उत्तर पश्चिम दिशा — नाला लगभग 70 मी.
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-77 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी :—

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S N O	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
I	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days	-	30,000
II	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 300m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. settling tanks will be of double “S” pattern & lease restoration work	1,10,000	10,000
III	Contribution in development & maintenance of W.B.M road (Road length approx 300 m, Width 5.5m - (excluding shoulders) (approx @~Rs 500/meter.) including the provision of rumble strips)	1,50,00	20,000
IV	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@5000/yr,	NIL	40,000
VI	Plantation (Total 3310 Plants will be planted)		
	1. Within Lease Area (In Barrier Zone)	75,000	8,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	500@150rs./tree 1 st year –covering the whole periphery of Mine lease boundary (400 nos)		
	2. Outside the Lease Area (along approach road and village area) (including the Cost of tree guard & manure for the plant) 1 st year- 300 nos on evacuation route up to 200 m both side (@ Rs 500/tree including the Cost of tree guard) 2 nd year – 470nos will be distributed the nearby villagers (@Rs 50/tree)	1,50,000 1,25,500	10,000
	3. Sowing of the Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew americana, along the bund of excavated garland drain & settling tank.	8,000	3,000

VII	Wire fence (~500 m long) (@Rs 200/m)	1,00,000	5,000
	Induction Motor (3 phase motor of 5 HP) with accessories for dewatering the pit.	30,000	5,000
VIII	PUC certification of vehicles (1 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500

Labor Welfare

IX	Repairing of rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	20,000	8,000
X	Repairing of existing & Construction of new Toilets 2 no. (Male & Female) 12500 x 2	25,000	5,000
XII	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves including safety harness for the workers involved in blasting/drilling works for max 1 worker only - (10x Rs 2000+Rs 2,000 for safety harness @Rs 2000 per set)	Nil	22,000

Emergency Rescue Plan

XIII	Fire Fighting Equipments (1nos) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	3,000
XIV	Safety signage and warning boards like red flags, cones & reflectors etc.	5,000	2,000

Solid Waste Management

XV	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each	3,000	3,000
	b) Pit and Composting	4,000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
XVI	Expenditure for Distribution of LED Bulb for sequestration of Carbon.	60,000	
	Total	8,92,500	1,74,500

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर/वर्ष
2. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.925 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.745 लाख।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम डोंगरी के विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	1,00,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सागौन, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, नीम आदि।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	सागौन,,पीपल,, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू , नीम आदि।	300
3	ग्राम डोंगरी में ग्राम वासियों को फलदार पौधे वितरा हेतु	संतरा, पपीता, आम, हाइब्रिड मूंगा, कटहल, आवला आदि।	2510

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

12. Case No. P2/635/24 Shri ROHAN JAIN, Proprietor M/s Paras Construction, Prop. M/s Paras Construction, WARD NO. 09, SABZI MANDI, NIWARI (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 3.558 ha. (40,000 cum per annum) (Khasra No. 127/2) Village – Asati Jangal, Tehsil - Niwadi, District – Niwadi (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पारस कन्सट्रक्शन प्रो. श्री रौनक जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स पारस कन्सट्रक्शन प्रो. श्री रौनक जैन सब्जी मण्डी निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	127/2 (शासकीय –नॉन फॉरेस्ट लेंड) नोइयत-बंजर	हेक्ट. 3.558
स्थल	ग्राम असाटी जंगल, तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 2652 दिनांक 07/12/17 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-40,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम-40,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 763 दिनांक 22/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान पत्थर की 3.00 है. की संचालित/स्वीकृत है, जो मुरम के सदृश नहीं होने के कारण	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 763 दिनांक 22/02/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 763 दिनांक 22/02/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत असाटी जिला निवाड़ी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—3 दिनांक 05/09/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुल 50 वृक्ष और लगभग 100 झाड़ियां हैं जिनमें से 15 वृक्ष एवं 50 झाड़ियां काटी जायेंगी जिनके स्थान पर 200 अतिरिक्त वृक्ष स्थानीय प्रजाति या नीम के लगाये जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा— लगभग 100 मी. पर ओवरहेड टैंक है। कच्चा रास्ता 319 मी. पर है। पॉवर सब स्टेशन — 400 मी. पर है।
	उत्तर दिशा— घर 260 मी. पर है।
	पूर्व दिशा— घर 360 मी. पर है। आबादी — 395 मी. पर है।
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड 85 मी. पर है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उक्त खदान जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला निवाड़ी के पृष्ठ क्रमांक 39 के सरल क्रमांक 131 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण में परियोजना प्रस्तावक ने बताया खदान से पश्चिम दिशा में 85 मी. पर पक्का रोड है अतः 15 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है चूंकि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है अतः 15 मी. तक गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये 100 मी. मापदण्ड पूर्ण करते हुये एवं लीज क्षेत्र के पूर्व दिशा में सघन वृक्षों के होने के कारण गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ते हुये सरफेस मेप प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुत किया गया है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम—40,000 घनमीटर/वर्ष।
2. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू—प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
3. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
4. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
6. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20,79,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,39,000/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 5000ltr.@0.15 rupees/liter * 2 for 43 weeks, (twice in a week).	Nil	64,500
2	Garland Drain is proposed (863m x 2m x 1.5m) And three Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	1,00,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x863	4,31,500	5,000
4	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village Total plantation in Barrier zone area is 3400 x Rs.200	7,80,000	20,000
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (1000 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 320m x 5m) @500/sqm	1,60,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20-40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 25 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	25,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 25 worker@ Rs. 1500/worker	37,500	5,000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2000
14	Half yearly PUC certification for 8 trucks @1000/truck	-	8,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5000
17	VT Trainings for 25 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	Nil	12,500
18	Carbon sequestration cost - LED bulb distribution	50,000	Nil
	Total	14,19,500	2,77,800

8. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल असाटी में प्रयोगशाला विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 /—

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, महुआ, करंज, चिरोल, सिरसू, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, अमलतास, पुत्रनजीवा, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
4	शास. अंकुर योजना के तहत असाठी जंगल में वितरण हेतु	इमली, आवंला, नीबू बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
5	नॉन माइनिंग जोन	नीम, चिरोल, सिस्सू, करंज, सीताफल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

13. Case No. P2/715/24 Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P). Prior Environment Clearance for Stone in an area of 2.00 ha. (Stone (Gitti) 10,769 cum/annum) (Khasra No. 548/1,554 & 557), Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar (M.P.) B-2

प्रस्तावित Stone (Gitti) खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Krishna Khokar, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स अपेक्ष मिनिटेक, उदयपुर (राज.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri KRISHNA KHOKAR, Project Proponent, Village Kod, Tehsil Badnawar, District -Dhar (M.P)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	548/1,554 & 557 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 hectare.
स्थल	Village Nagzhiri, Tehsil Badnawar, Dist. Dhar

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक 4001 दिनांक 31/7/2014 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 09/02/2017 के द्वारा पत्थर-16632 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट / डिया से सिया
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone (Gitti) 10,769 cum/annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone (Gitti) 10,769 cum/annum
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 3.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं हैं ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2519 दिनांक 22/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 100 मीटर पर आबादी स्थिल है एवं 80 मीटर पर तालाब हैं ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जलोदखेता जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू 2013 दिनांक 25/4/2013 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-43 के सरल क्रमांक-06 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके ।

- 14. Case No. P2/636/24 Shri Sattendra Baghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, M.P, 486885, Prior Environment Clearance for Semariya Stone Quarry, Lease in an area of 4. 40 ha. Capacity : 120612 Cum per year, at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). DEIAA TO SEIAA ToR.**

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sattendra Baghel एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Sattendra Baghel, R/o- MIG-164, Navjeevan Vihar, Post Vindhyanagar, District- Singrauli, M.P, 486885, Prior Environment Clearance for Semariya Stone Quarry, Lease in an area of 4. 40 ha. Capacity : 120612 Cum per year, at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. SIA/MP/MIN/463378/2024		
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 505/2,	एरिया-	4.40 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.).		
Project Proposal For	New (डिया से सिया।)		
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 3066 दिनांक 21/06/2017.		
परियोजना की श्रेणी	बी-1,		
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।		
Description of Project	It is a stone quarry with a production capacity of 1,20,612 Cubic meter per year having a lease area of 4.40 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. - 505/2, Village Semariya, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.		
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	NA. (Method of mining -Semi-mechanized)		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	Previously EC was issued by DEIAA Singrauli. Letter no. 13 dated 13/09/2017. (Stone – 50118 Cubic meter/year.		
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 1,20,612 cum per year.		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 09.11 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।		
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको संसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3705 दिनांक 23/10/2023 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ आवेदित क्षेत्र से 500 मी. के अंदर आबादी है किन्तु 100 मी. की परिधि में कोई भी मकान स्थिल नहीं है। ➤ नाला एवं तालाब आवेदित क्षेत्र से 100 मी. की दूरी पर है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / नगर परिषद्	ग्राम पंचायत – सेमरिया, जिला–, सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र. 02 दिनांक 18/02/2017 पर दर्ज है।
जल / वायु सम्मति संबंधी जानकारी	CTO valid 29/05/2027.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थिल पेड़ों का विवरण – फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	<p>उत्तर दिशा— कच्ची सड़क उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, कच्ची सड़क से 50 मीटर का सेटबैक दिया जाएगा।</p> <p>दक्षिण दिशा— 85 m Isolated hut, 50— मीटर का सेटबैक दिया जाएगा।</p>
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. –38 के सरल क्रमांक–66 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. P-2/531/24 Shri Ramprakash Sikarwar, ward no.- 4, ram nagar nai pani ki tanki ke samne, joura, joura, Joura, Morena, Madhya Pradesh – 476221, Prior Environment Clearance for Stone for Gitti Quarry in Village- Parsota, Tehsil- Joura, District- Morena (M.P.), Lease Area - 1.00 hectares, Khasra No - 3022, Production:- Stone- 20,000 M3/ Year. B2 Case.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामप्रकाश सिहं सिकरवार एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ramprakash Singh Sikarwar S/o Shri Raghunandan Sikarwar R/o- Ward no.04, Ramnagar nai pani ki Tanki ke samne, Tehsil- Joura, District- Morena(M.P.)				
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	3022 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड) चरनोई भूमि	1.00 hectare.			
स्थल	Village-Parsota, Tehsil-Joura, District-Morena (M.P.).				
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 753 दिनांक 13/07/2023 के द्वारा स्वीकृत ।				
पूर्व स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष— 11/09/2023, क्षमता— 20,000 घनमीटर / वर्ष,				
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।				
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट , बी— 2 ।				
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार — स्वाति नामदेव, स्थल का नाम— परसौटा दिनांक— 17/04/2024				
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 20,000 घनमीटर/वर्ष है ।				
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 936 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 4.5 है. होता है, अतः प्रकरण बी— 2 श्रेणी का है ।				
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 936 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।				

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 936 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसौटा जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 05/01/2021 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • लीज क्षेत्र में पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>उत्तर दिशा— नहर लगभग 324 मीटर की दूरी पर स्थित है ।</p> <p>पूर्व दिशा— नाला लगभग 151 मीटर की दूरी पर स्थित है ।</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19/03/2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 20,000 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी ।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.36. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.02 लाख प्रति वर्ष

1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	67,140	-
1(b)	Water requirement- 1.492 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1,100 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
PLANTATION SCHEME			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	300 plants × 200 Rs=60,000/-	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers : @ Rs. 50/plant.	750 plants × 50 Rs=37,500/-	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	150 plants × 300 Rs=45,000/-	
4	<ul style="list-style-type: none"> Garland Drain (1.5 m Wide & 2 m Deep & 473 m Long) Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area. Settling Tank is of (4 m wide, 15m long & 2.5 m deep) . 	80,185	5,000
5	Wire fence (468 m) @200 rupees/meter.	93,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium ,Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.)	5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 25 Labors -25 × 500 × 2)	-	25,000
11	First Aid Box & Fire fighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 25 workers - 25 × 1500)	37,500	2,000
13	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (1 Trucks	-	1,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	× 500 × 2 times in a year)		
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web site development & Maintenance 3. 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 4. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	For Carbon containment adaptation of full grown trees for 10 Years (740 Plants x 100 Rs / Plant)	74,000	74,000
TOTAL		8,36,925 /-	2,02,000/-

9. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 1,20,000 की राशि शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम परसौटा के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,20,000/-

2. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ॐ्चाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750
योग			1200

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच—बीच में आदि पर रक्षणीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका सरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

16. Case No. P2/637/24 Shri SHESHRAO DIGARSE, Owner, Village-Langha Tehsil - Pandhurna District-Chhindwara (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.6 ha. (11,498 cum per annum) (Khasra No. 1769/1) Village SEONI Tehsil Pandhurna District Chhindwara (M.P.). B-2

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पत्थर उत्खनन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक शेषराव डिगरसे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार अंकुर शर्मा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज					
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री शेषराव डिगरसे पिता श्री पांडुरंग डिगरसे					
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	निजी - 1769/1	1.600 Ha.				
स्थल	Village सिवनी Tehsil पांडुरना, District छिन्दवाड़ा (M.P.).					
लीज स्वीकृति	संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के पत्र क्रमांक 16454 दिनांक 28.12.23 के द्वारा स्वीकृत ।					
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	-					
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान 11498 घन मी प्रतिवर्ष	डीएसआर	हॉ			
अनुमोदित खनन्	ब्लास्टिंग					

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

योजना अनुसार ब्लास्टिं का उल्लेख करें।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट बी-2
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम मोहित रघुवंशी, सिवनी पांडुरना दिनांक 15.01.24
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 11498 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 11498 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 31 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.60 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 31 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छिन्दवाड़ा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 31 दिनांक 16.02.2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता नहीं है। 30 मी दूरी पर नाला है

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सिवनी जिला छिन्दवाड़ा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक गर.पा/प्र.प/2022 दिनांक 06.07.2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं
क्षेत्र की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	बाहर
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 03 इनमें से कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	<p>उत्तर दिशा— पूर्व की खदान</p> <p>दक्षिण दिशा— भूमि</p> <p>पूर्व दिशा— 50 मी नाला</p> <p>पश्चिम दिशा— भूमि</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	19.03.2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनिज शाखा छिन्दवाड़ा के पत्र क्र. 41 दिनांक 14.03.24 द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ दिया जावेगा ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	लागू नहीं

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर **11498** घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. **20.28** लाख एवं रिकरिंग राशि रु. **3.04**लाख प्रति वर्ष ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost) –

S.	Particulars	Capital Cost (in Rs.)	Recurring Cost (in Rupees)
A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1	Tanker water sprinkler facility for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation. Hiring of water tanker (4000L) @ Rs.400/Day (PP owned tanker) for 150 days – Rs. 60000/-	-	60,000
2	Garland Drain (1.5m wise, 2m deep, 683m Long) 1 settling tank (4m wide, 10m Long, 4m Deep)	50,000	55,000
2 (A)	Wire Fencing Around Lease Area (683m * 500rs/m)	3,41,500	34,000
3	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (2000m)	10,00,000	50,000
4	Plantation within lease @ Rs. 200/plant Total plantation in Barrier zone 1500 x Rs.200 Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant. Total plantation outside the lease area 300 (300 X Rs.500)	4,50,000	45,000
5	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	-	40,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2000
7	Separate Toilets for Male and Female @25000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	50,000	5,000
8	Medical Check-up for 10 workers @500/worker (twice in a year)	-	5000
9	First Aid Box & Firefighting equipment @21000X2 & Rs. 2000/year for maintenance.	42,000	2000
10	PPEs for other mining operations for 10 worker@ Rs. 1500/worker	15,000	-
11	01 Shelter rooms for labors (20*20)= 400 Square feet	50,000	3000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

12	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance.	5000	2000
13	Vocational Training of Workers (10 nos)	-	10,000
14	Half yearly PUC certification for 1 trucks @1000/truck	-	1,000
15	Signage & Warning Boards	5,000	-
16	For reduction of the carbon emission distribution of LED bulb to the nearby villagers	10,000	
	Total	20,28,500	3,04,000

3. CER Table – सिवनी माध्यमिक शाला में टॉयलेट निर्माण प्रस्तावित राशि 60,000 रु

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1900वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, खमेर, संतरा, कटहल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, करंज, चिरोल एवं अन्य प्रजातियाँ	300
3	गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ	400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

17. Case No. P2/638/24 Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra (U.P.) 231222, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. ToR (DEIAA to SEIAA). ToR DEIAA to SEIAA).

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Bhrighu Gupta, M/s Rahul Construction एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Bhrighu Gupta, Khadia Bazar, Shaktinagar, Sonbhadra (U.P.) 231222, Prior Environment Clearance for Karami Stone Mine, Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438, Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). [DEIAA]. SIA/MP/MIN/466498/2023.	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438,	एरिया— 3.29 ha., इशासकीय भूमि
परियोजना स्थल	Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 125 दिनांक 12/01/2017.	
परियोजना की श्रेणी	बी-1,	
टॉर स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर प्रस्तावित किया है।	
Description of Project	It is a Stone quarry with a Production Capacity of 75,074 cubic meter per year stone having a lease area of 3.29 hectares, previously EC was issued by DEIAA Singrauli at Khasra No. 436/1, 436/2, 436/3, 436/4, 437 & 438 Village Karami, Tehsil Mada, District Singrauli (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.	
CTO Status	CTO will be applied after getting Environmental Clearance as previous CTO is expired.	
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	<ul style="list-style-type: none"> Controlled blasting techniques, Muffle Blasting. (As per Parivesh Portal up-loaded information). 	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	DEIAA letter no. 175 dated 30/11/2016. Capacity - 80,306 M ³ /Year.	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 75,074 cum per year.	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

/स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	01 खदानें स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 6.64 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 3708 दिनांक 25/10/2023 अनुसार आबादी एवं अन्य संस्थान 100 मीटर से अधिक दूरी पर है। ➤ 130 मी. की दूरी पर गैररिहायशी मकान है। ➤ 300 मी. की दूरी पर रिहायशी मकान है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत करामी, जिला—सिंगरौली का ठहराव प्रस्ताव क्र0. निरंक दिनांक 26/01/2016 पर दर्ज है।
जल/वायु सम्मति संबंधी जानकारी	NA
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थिल पेड़ों का विवरण —फाइनल EIA के समय प्रस्तुत किया जायेगा
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा—120 m उत्तर परिचम दिशा में कुछ माकान दिखायी दे रहे हैं। दक्षिण दिशा—परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि 96 मीटर की दूरी पर स्थिल माकान उनका साइट ऑफिस है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—31 के सरल क्रमांक—38 पर दर्ज है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) ‘गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर’ अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

**18. Case No. P2/640/24 SHRI RAJESH SHARMA S/O SHRI RAMSWAROOP SHARMA
Resi.- Vill.- Malanpur, Tehsil- Gohad, District- Bhind, (M.P.) - 477116, Prior
Environment Clearance for Bhatpura Stone Quarry with a Production Capacity of
25,000 cubic meter per year Stone having a lease area of 1.045 Ha., Village Bhatpura
Brahman, Tehsil Gwalior, District Gwalior (M.P.). Form-2, DEIAA to SEIAA. B2**

प्रस्तावित खदान बी—2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	SHRI RAJESH SHARMA S/O SHRI RAMSWAROOP SHARMA Resi.- Vill.- Malanpur, Tehsil- Gohad, District- Bhind, (M.P.) - 477116, Prior Environment Clearance for Bhatpura Stone Quarry with a Production Capacity of 25,000 cubic meter per year Stone having a lease area of 1.045 Ha., Village - Bhatpura Brahman, Tehsil- Gwalior, District - Gwalior (M.P.). <u>B2 Case.</u> SIA/MP/MIN/463044/2024.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. 272 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड) चरनोई भूमि	Hectare.1.045
स्थल	Village- Bhatpura Brahman Tehsil - Gwalior, District- Gwalior (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू. एल-99 / 2015 दिनांक 01 / 10 / 2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रैकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्यू/खनिज / DEIAA / 2016 / 26 दिनांक 30 / 05 / 2016 के द्वारा पत्थर—Max.12000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— Max. 25,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर Max. 25,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 99 / 2015 दिनांक 08.01.2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रक्षा 1.045 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 99 / 2015 दिनांक 08.01.2020 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 99 / 2015 दिनांक 08.01.2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जहांगीरपुरा जिला ग्वालियर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 06 दिनांक 18.04.2006 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा—में 90 मी. की दूरी में एक कच्ची सड़क है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया की कच्ची रोड की दिशा में सघन वृक्षारोपण किया जावेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण एस.ओ.पी. के अन्तर्गत आवेदित किया गया था । समिति द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म—2 में दिये गये विवरण अनुसार परीक्षण किया गया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 50 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई । बेरियर जोन खुदा हुआ है ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Stone – Max 25,000 m³/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें ।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.40 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
	1 no's of Overhead water sprinkle facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation with fixed pipeline.	60,000	
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 190 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	40,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 100 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	25,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1260 nos.)		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 st year -up to ~470m periphery of Mine lease boundary (250 nos.)	37500	10,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) <ul style="list-style-type: none"> - 1st year- 50 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school premises @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 910 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree) 	25,000 7,500 45500	10,000
	Development of the grassland in the village available area at an area of 1.045 ha after consulting with the village panchayat for the suitable land.	16000	5000
6	Total Wire Fencing = (~455m long) - {15% completed= 70 m} (85% Remaining to be installed = 385m @500 Rs./m)	7000 192500	10,000
7	PUC certification of vehicles (3 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1500
Labor Welfare			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	25,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	30,000	
17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 200 nos @Rs 100 /bulb for the carbon sequestration.	20,000	
18	Cost for the mine closure plan at the end of mine life except the cost of wire fence given in point no. 6.	30,000	
	Total	6,86,000	1,40,500

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम भटपुरा ब्राह्मण स्थिल ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी प्रदान की जावेगी।	60,000/-
कुल	60,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1260 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- करधई, चिरोल, करंज, पीपल, कालासिरिस, बरगद, पुतरंजीवा इत्यादि	250
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	50

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3	ग्राम भटपुरा ब्राह्मण में स्थिल शशासकीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	पास के गाव के लोगों को एवं आस पास में स्थिल खेतों के किसानों को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	910
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. P2/572/24 Shri BHARAT ARYA, Lease Owner, 46, Mahendra Ample Park, Salaiya, District Bhopal Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.55 ha.(Stone-7980 cum per annum & M-Sand-7980 cum per annum) (Khasra No. 178 (Part)) Village- Nitarri, Tehsil- Sagar, District- Sagar, (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 16.05.24 को परियोजना प्रस्तावक **Shri BHARAT ARYA, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri BHARAT ARYA, Lease Owner, 46, Mahendra Ample Park, Salaiya, District Bhopal Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	178 (Part), (सरकारी -नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.55 hectare.
स्थल	Village- Nitarri, Tehsil- Sagar, District- Sagar, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1496 दिनांक 03/10/23 के द्वारा स्वीकृत।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone-7980 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-7980 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Stone-7980 घनमीटर / वर्ष एवं M-Sand-7980 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 457 दिनांक 14/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 8.45 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 457 दिनांक 14/03/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 457 दिनांक 14/03/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुरैया जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—10 दिनांक 19/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने प्रकरण बी—1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करने का कथन किया है।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

20. Case No. P2/573/24 ANKIT GUPTA, Owner, R/o- 153/8, Signal Vihar Mhow indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand and Murrum in an area of 4.00 ha. (Stone – 20000 m3/Year, M-Sand – 56000 m3/Year and Murrum –

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

8099 m3/Year) (Khasra No. 420/1/1) Village – Akwai, Tehsil – Mhow, Distt.Indore (M.P.) TOR

प्रस्तावित **Stone, M-Sand and Murrum** खदान बी-1 श्रेणी के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को पर्यावरणीय सलाहकार Zenith Environment Consultancy उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	ANKIT GUPTA, Owner, R/o- 153/8, Signal Vihar Mhow indore, District-Indore, M.P	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	420 / 1 / 1 (निजी भूमि)	4.00 hectare.
स्थल	Village – Akwai, Tehsil – Mhow, Distt. Indore	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1241 दिनांक 09/6/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Gitti – 20000 m3/Year, M-Sand – 56000 m3/Year and Murrum – 8099 m3/Year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Gitti – 20000 m3/Year, M-Sand – 56000 m3/Year and Murrum – 8099 m3/Year ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 49 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 8.0 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 49 दिनांक 04/01/2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 49 दिनांक 04/01/2024 के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक दिनांक अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आकवी, तहसील – डॉ अंबेडकर नगर (मह) जिला इंदौर के पत्र दिनांक 28/4/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 45 दिनांक 14/10/2024 अनुसार उक्त उत्खनि पट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी ।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेपडर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है ।

21. Case No. P2/712/24 Shri BHARAT ARYA, Lessee, 46, Mahendra Ample Park, Salaiya, District Bhopal Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (26583cum per annum) (Khasra No. 178 (Part)) Village- Nitarri, Tehsil- Sagar, District- Sagar, (M.P.) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri BHARAT ARYA, Lessee, 46, Mahendra Ample Park, Salaiya, District Bhopal Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	178 (Part) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village- Nitarri, Tehsil- Sagar, District- Sagar, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 169 दिनांक 02/02/22 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 26583 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 26583 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकमा 08.450 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 27/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1661 दिनांक 27/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में बिलहरा सी.सी. रोड स्थिल है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुरैया जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-10 दिनांक 19/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	प्रकरण बी-1 श्रेणी का है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) "गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर" अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

22. Case No. P2/641/24 Shri Arvind Singh, Address- Gahilgarh, Post - Shahpur, Dist-Singrauli, MP -486885, Prior Environment Clearance for HARRAIYA SOIL QUARRY, 226/1, 226/2, 226/3P, 227, Lease Area - 1.42 ha., Capacity – 2,888 M3/Year. Khasra No. - 226/1, 226/2, 226/3P, 227 (Private Land), Village-Harraiya Tehsil-Singrauli District-Singrauli (M.P.) Area-1.42 Ha., Form-2, (DEIAA to SEIAA). B2 Cat. Form 2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी अथवा (डिया) श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये SOIL से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Arvind Singh, online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार इक्तेदार तनवीर, M/s . Ultra Tech Environmental Consultancy and Laboratory. Thane, Mh. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री अरविन्द सिंह पिता श्री राम केवल सिंह पत्राचार का पता – गहिलगढ़, पोस्ट- शाहपुर, जिला -सिंगराँली (मध्य प्रदेश) मोबाइल नंबर - +91-8109122160

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 226/1, 226/2, 226/3, 227	निजी	1.42 Ha.			
स्थल	Village – Harraiya , Tehsil- Singrauli , District - Singrauli (M.P.)					
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 3092 दिनांक 08 / 11 / 2016 के द्वारा स्वीकृत ।					
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	N.A.					
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष— 2021, क्षमता— 2888 घन मीटर प्रति वर्ष, उत्पादित मात्रा— 2888 घन मीटर प्रति वर्ष					
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	N.A.					
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान	डीएसआर	हाँ	नहीं		
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें ।	For Bricks Manufacturing.					
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया प्रकरण बी—2					
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण – श्री मुर्मांद्र कुमार पांडेय स्थल का नाम – हर्र्या , दिनांक—10 / 05 / 2024					
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया 14 / 2016 के पत्र क्रमांक 123 दिनांक 24 / 08 / 2016 के द्वारा मिटटी—2940 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।					
टॉर यदि लागू हो	N.A.					

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

तो विवरण दें।	
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिटटी-2888 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 2888 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3107 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2 . 00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3107 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3107 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डिंघी जिला सिंगरौली के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 46 दिनांक 13/07/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	हाँ/नहीं
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर)	N.A.
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> ● लीज में स्थित पेड़ों की संख्या – 50 ● यदि पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण – लीज एरिया के पेड़ नहीं कटे जाने हैं

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	<ul style="list-style-type: none"> ● काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या — N.A. ● यदि पेड़ों का या अन्य संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना है तो उसका विवरण उत्तर — पूर्व — मैं प्राकृतिक नदी 80 मीटर दूर है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें)	<p>उत्तर दिशा— नदी, 80 मीटर दूर मैं नदी है</p> <p>दक्षिण दिशा—</p> <p>पूर्व दिशा— नदी, 80 मीटर दूर मैं नदी है</p> <p>पश्चिम दिशा—</p>
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	21 / 03 / 2024
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक-47 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	— N.A.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **मिटटी-2888** घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.0 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.74 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

<u>B.</u>	कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी	
Particulars	Amount	
प्रस्तावित सीईआर के लिए, गांव के स्कूल के पालक शिक्षक संघ के खाते में 50,000/- रुपये की राशि जमा की जाएगी।	50,000/-	
Total		50,000/-

4 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र. सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	प्रथम वर्ष में बैरियर जोन में वृक्षारोपण किया जावेगा प्रजातियाँ जैसे — इमारती लकड़ी वाले वृक्ष :— बांस, सागौन, आम, संतरा, कटहल, जंगलजलेबी, आमला, नीम आदि	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	प्रथम वर्ष में ग्रामीणों में कुल पौधों का वितरण किया जावेगा जैसे :— अमरुद, आम, जामुन, निम्बू, कटहल, मूंगा आदि	330
		प्रथम वर्ष में परिवहन मार्ग के किनारे पौधरोपण किया जावेगा प्रजातियाँ जैसे :— करंज, आम, पखार, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू, पीपल आदि	400
		प्रथम वर्ष में ग्राम क्षेत्र में पौधरोपण किया जावेगा प्रजातियाँ जैसे :— करंज, आम, पखार, पुत्रंजीवा,	100

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	नीम, सिस्सू, पीपल आदि	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. P2/578/24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 5.160 ha. (Granite-4000 cum per annum, Boulder- 12420 cum per annum, Gitti-12420 cum per annum & M-Sand-99360 cum per annum) (Khasra No. 465) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) ToR.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	465 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.160 hectare.
स्थल	Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 14560 दिनांक 26 / 10 / 22 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder- 12420 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12420 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-99360 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder- 12420 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12420 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-99360 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 59 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.50 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 59 दिनांक 06/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं और वन मण्डलाधिकारी के पत्र दिनांक 07/06/22 के अनुसार निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-708 का भाग है, अतः वन व्यपवर्तन की प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ करें।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 59 दिनांक 06/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 21/11/17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 59 दिनांक 06/01/23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलि कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) “गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर” अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

24. Case No. P2/643/24 Shri Ramesh Purswani, Lessee WARD NO. 07 UPADHYAY MOHALLA, BIRSINGHPUR PALI, MUDARIYA, Distt. - Umaria (M.P.) 484551 Prior Environment Clearance for MARDARI CRUSHER STONE QUARRY at

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

**Khasra No. 53/1(P) Village – Mardari, Tehsil – Nowrozabad & District – Umaria
(M.P.) Proposed Production Capacity – 10,000 Cum/Year. B2 Case. Form-2, DEIAA to
SEIAA. B2 Case.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश पुरुषवानी पुत्र श्री किशनचन्द्र पुरुषवानी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री रमेश पुरुषवानी पुत्र श्री किशनचन्द्र पुरुषवानी वार्ड नं. 07, बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	53/1 (सरकारी – नॉन फॉरेस्ट लैंड)	हेक्ट. 2.00
स्थल	ग्राम मरदरी, तहसील नौरोजाबाद, जिला उमरिया (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 12533. 34/खनिज/न.क्र.-1/उ.प./2018, दिनांक 01/08/2018 के द्वारा स्वीकृत है।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उमरिया के पत्र क्रमांक 1581 दिनांक 31/08/2018 के द्वारा पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु)–10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु)–10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर (क्रेशर से गिट्टी निर्माण हेतु)–10,000 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 23 दिनांक 04/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य एक खदान संचालित/स्वीकृत है। इस प्रकार अन्य 01 स्वीकृत उत्खनिपट्टा का कुल रकबा 2.00 हे. क्षेत्र है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 23 दिनांक 04/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 23 दिनांक 04/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	बसाहट-200 मी., शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।																
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मरदरी जिला उमरिया के पत्र दिनांक 22/09/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।																
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<p style="text-align: center;">लीज क्षेत्र में कुल 25 वृक्ष है</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रमांक</th> <th>वृक्ष का नाम</th> <th>गर्थ (से.मी.)</th> <th>वृक्ष का स्थान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-8</td> <td>बबूल</td> <td>20-25</td> <td>1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।</td> </tr> <tr> <td>9-15</td> <td>नीम</td> <td>18-25</td> <td>बैरियर जोन में है</td> </tr> <tr> <td>16-25</td> <td>छेवला</td> <td>22-32</td> <td>6 बैरियर जोन में है एवं 4 माइनिंग जोन में है।</td> </tr> </tbody> </table> <p>केवल 12 वृक्ष माइनिंग जोन में है जिन्हे काटा जाएगा एवं इनके स्थान पर दस गुना अर्थात् 120 वृक्ष नीम के अतिरिक्त लगाए जाएंगे</p>	क्रमांक	वृक्ष का नाम	गर्थ (से.मी.)	वृक्ष का स्थान	1-8	बबूल	20-25	1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।	9-15	नीम	18-25	बैरियर जोन में है	16-25	छेवला	22-32	6 बैरियर जोन में है एवं 4 माइनिंग जोन में है।
क्रमांक	वृक्ष का नाम	गर्थ (से.मी.)	वृक्ष का स्थान														
1-8	बबूल	20-25	1 बैरियर जोन में है एवं 19 माइनिंग जोन में है।														
9-15	नीम	18-25	बैरियर जोन में है														
16-25	छेवला	22-32	6 बैरियर जोन में है एवं 4 माइनिंग जोन में है।														
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	<p>दक्षिण दिशा— कच्चा रास्ता, 119 मी. पर है।</p> <p>दक्षिण पूर्व दिशा— आबादी – 260 मी. पर है।</p>																
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-41 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है ।																

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बैरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 50 पेड़ लगाये गये किन्तु वह

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	जीवित नहीं बचे एवं वर्तमान समय में 621 पौधें लीज क्षेत्र के बैरियर जोन में लगाये गये नर्सरी का बिल प्रस्तुत किया।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता — 10,000 मी.³
2. पिट्स में बैंचेस / बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
7. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
8. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट्स में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
9. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15,04,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 3,51,000/- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	Nil	20,000
1 (b)	Cost of water of 2000ltr.@0.15 rupees/liter for 300 days), Regular Uses	Nil	90,000
	Cost of water of Plantation 2000ltr.@0.15 rupees/liter	Nil	90,000
2	Garland Drain is proposed(600m x 2m x 1.5m) And two Settling tank in SS pattern (10m x 02m x 02)	80,000	10,000
3	Barbed wire fencing (along the lease boundary) with cemented boundary pillars @500 x 600	3,00,000	5,000
	Plantation @ Rs. 200/plant, Barrier zone & village	3,99,000	20,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

4	Total plantation in Barrier zone area is 1400 x Rs.200		
	Plantation @ Rs. 500/plant with tree guards Total plantation in approach road is 100x Rs.500		
	Plants distribution @ Rs. 50/plant. Total plant distribution (900 X Rs. 50)		
5	Pucca Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. 250m x 5m) @500/sqm	1,25,000	10,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 75,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/30 -40 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintainenece.	30,000	3000
9	Occupational Medical Check-up for 20 workers @500/worker (twice in a year)	Nil	20,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintainenece.	50,000	2000
11	PPEs for other mining operations for 20 worker@ Rs. 1500/worker	30,000	5000
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet @Rs.800/square ft.	3,20,000	10,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintainenece.	10,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for 4 trucks @1000/truck	-	4,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha. (Grass- Dicanthium, Punia, Siran, Themada)	50,000	5000
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintainenece (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc. (Website will be updated every three months)	50,000	5,000
17	VT Trainings for 20 workers (minimum@ Rs. 500/Labour)	-	8,000
18	Carbon sequestration – LED bulb distribution	50,000	Nil
Total		15,04,000	3,51,000

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक स्कूल मरदारी में अधोसंरचना विकास हेतु उपरोक्त राशि रु. 0.60 लाख शिक्षक पालक संघ मे भू प्रवेश से तीन माह के भीतर जमा करेंगे	60,000 /–

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2520 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, चिरोल, नीम, करंज, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1520
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, आम, हर्दा, बहेड़ा, नीबू, कटहल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	900

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

25. Case No. P2/579 /24 Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) Prior Environment Clearance for Granite Mine in an area of 5.180 ha. (Granite-4000 cum per annum, Boulder-12106 cum per annum, Gitti-12106 cum per annum & M-Sand-96852 cum per annum) (Khasra No. 339) Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.) TOR.

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Agyat Gupta, Director, DG MARBEL AND GRANITES LLP, 158 3rd Floor, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)	
खसरा नं./	339 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लैंड)	5.180 hectare.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)		
स्थल	Village Bhitariya, Tehsil Lavkushnagar, District Chhatarpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 14558 दिनांक 26 / 10 / 22 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder-12106 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12106 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-96852 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Granite-4000 घनमीटर/वर्ष, Boulder-12106 घनमीटर/वर्ष, Gitti-12106 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand-96852 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 06 / 01 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.52 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 06 / 01 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं और वन मण्डलाधिकारी के पत्र दिनांक 07 / 06 / 22 के अनुसार निकटतम वन सीमा वन कक्ष क्रमांक पी-708 का भाग है, अतः वन व्यपवर्तन की प्रति ईआईए रिपोर्ट के साथ करें ।	
तहसीलदार अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 06 / 01 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन / सार्वजनिक भवन / शमशान घाट / राष्ट्रीय राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं हैं ।	
ग्राम सभा / पंचायत अनापत्ति	ग्राम पंचायत दौनी जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-4 दिनांक 21 / 11 / 17 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 06 / 01 / 23 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलि कर लिया जावेगा ।	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशांसित किया जाये।
--	---

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में समिति ने निर्णय लिया कि गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 में लिये गये निर्णयानुसार (कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्रमांक 70) ‘गौण खनिजों हेतु तैयार किये गये स्टेण्डर्ड टॉर’ अनुसार टॉर जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

- 26. Case No 10960/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bavari Sand Quarry Deposit in an area of 4.00 ha. (62,400 cum per year) (Khasra No. 137/1), Village-Babri, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447470] (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	इशासकीय 4.00 Ha.
स्थल	Village – Bavri-1 & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें ।	रेत की खदान है — नर्मदा नदी		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (बावरी) दिनांक - 07.01.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें ।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 62,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 62,400 घनमीटर/वर्ष है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 853/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 22.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 853/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	प्रमाण—पत्र क्रमांक 853/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बावरी जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक— 42 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/ सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4.0 है. क्षेत्र में उत्खनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—62,400 घनमीटर/ वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 7.00 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.47 लाख प्रति वर्ष ।
- प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी ।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/ कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic Fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	30,000	2,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 219 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	21,900	2,000
3	Plantation (4,000 plants will be planted & Distribution during the first year).	3,60,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	25,000	5,000
8	Occupational health Survey 44 Labour @ 500 Rs. = 22,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 44	Nil	44,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 44 labor @1000 Rs.	44,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	20,000	1,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		7,00,900	3,47,000

3. CER Table

सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 70,000 तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम बावरी के नर्मदा घाटों के मरम्मत हेतु	20,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	50,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	800
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	800
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	3,200

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा :— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

27. Case No 11273/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Basadi Sand Quarry in an area of 3.00 ha. (50400 cum per year) (Khasra No. 1144), Village-Basadi, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [444643] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाईन

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 1144 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – बसाड़ी, तहसील – बडवारा, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – बसाड़ी रेत खदान, दिनांक – 27 / 11 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा बसाड़ी रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 50,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 50,400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2150 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 6.50 है. है, इस प्रकार कुल रकबा 9.50 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2150 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2150 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, स्थिल है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बसाडी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 31/08/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांशभाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-26 के सरल क्रमांक-19 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-19 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, को संपन्न हुई। आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 3.0 है। क्षेत्र में उत्थनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—50,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपीटल राशि रु. 17.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.43 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	
1(b)	Cost of water of 4960 ltr. @ 0.15 paisa/liter of 240 days		1,78,560
2.	Pucca Approach Road construction with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. @500/m (Length - 400m x width 5m)	10,00,000	1,00,000
3.	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution	-	30,000 30,000 20,000 20,000
4.	PLANTATION SCHEME Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. c) Plantation in the nearby village area and	(1500X150= ₹2,25,000) (150X500= ₹ 75,000) (1950X50 =	3,97,500 39,750

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	distribution to villagers @ Rs.50/plant	₹ 97,500)		
5	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck No. of dumper/day - 3x2x1000 = Rs.6,000	--	6,000	
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/20-30 labour @ Rs. 20,000/cooler) & Rs. 4000/year for maintenance. Number of labours only 29 nos.	20,000	4,000	
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000	
8	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) No. of labour 29 x 2 x 500 = Rs 29,000	-	29,000	
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000	
10	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 29 workers - 29 × 43500)		43,500	
11	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000	
12	VT Trainings for labors (minimum @ Rs. 500 /labor) No. of Labour 29 x 500/labour = Rs. 14,500	-	14500	
13	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000 & Rs. 2000/year for maintenance. fire fighting equipments no. of unit 01 x 25000 = Rs. 25000 & First Aid Box No. of unit 2 x 2000 =Rs. 4000 Total Rs 29000	29,000	2,000	
14	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000	
15	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	23,000	5,000	
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	1,00,000	20,000	
	Total	17,64,500/-	5,43,310/-	

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बसाडी में रोड लाईट के लिए ।	30,000
ग्राम बसाडी के शशासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 15 टेबल एवं 15 कुर्सी के लिए 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति बसाडी के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

कुल	1,30,000
------------	-----------------

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1650 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1950 वृक्षों का वितरण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एवं स्थानीय घास 4—5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	1500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1950
कुल			3600

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
 - ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
 - ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGERED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।
- टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

28. Case No 11268/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Paraswara Sand Quarry in an area of 15.00 ha. (243000 cum per year) (Khasra No. 358), Village-Paraswara, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP) [444745] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशील कुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाइन मेसर्स कॉर्पोरेशन रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशीलकुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 358 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल –15.00 हे.
स्थल	ग्राम – परसवारा, तहसील – बरही, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्फतिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम परसवारा रेत खदान, दिनांक – 14 / 11 / 2023	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा परसवारा रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31/01/2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 2,43,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 2,43,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है । एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2185 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहटा/भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/ अम ान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन फील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे अन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/पक्का/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसवारा कलां जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यू दिनांक 22/06/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का	उमरेर नदी । खदान क्षेत्र का अधिकांशभाग सूखा हुआ है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

नाम ।	
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17 / 09 / 2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-03 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-03 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 04 / 2024, को संपन्न हुई इस दौरान जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 15.0 है. क्षेत्र में उत्थनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-2,43,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन भुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 30.79 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 10.42 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	1,80,000
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	3,00,000	60,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant	20,35,000	2,00,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (113 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	1,13,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 129	1,10,000	22,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 129 Labors -129× 500 × 2)	-	1,29,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 129 workers - 129 × 1500)	1,93,500	20,000
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft)=300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

16	Provide 2,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint sequation.	2,00,000	2,00,000
	Total	30,79,500/-	10,42,000/-

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशिरू. 2.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम परसवारा में रोड लाईट के लिए।	20,000
ग्राम परसवारा में हैण्डपम्प स्थापना हेतु।	1,00,000
ग्राम परसवारा के शशासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति परसवारा के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी।	1,00,000
कुल	2,20,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 10300 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 7700 वृक्षों का वितरण :—

क्र	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1—3 पंकित— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4—5 पंकित — कटंग बांस 6 पंकित — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	10000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ॐ्चाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के साथ)	300

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3	ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नींबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	7700
कुल			18000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा । ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे। <p>टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

29. Case No 11253/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Tali Rohaniya Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (36000 cum per year) (Khasra No. 89), Village-Talirohaniya, Tehsil-Barhi, District-Katni (MP) [444753] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशीलकुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कॉर्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशील कुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 89 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 2.00 हे.
स्थल	ग्राम – तालीरोहनिया, तहसील – बरही, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डी एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – तालीरोहनिया रेत खदान, दिनांक – 10 / 11 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा तालीरोहनिया रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2181 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका खसरा क्र. 118, 435 रकबा 3.10 है. है जिस प्रकार कुल रकबा 5.10 होता है अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2181 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2181 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट हैं तथा भौक्षणिक	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुठिया मोहंगवां जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 16/08/2017 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	हलफल नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग सूखा हुआ है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	17/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-24 के सरल क्रमांक-05 एवं पेज नं.-36 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02/04/2024, संपन्न हुई इस दौरान जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी दी गई कि यह नवीन खदान है। पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में नदी में मिलने वाले नाला के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद माईनेबल उत्खनन क्षेत्र 1.45 है। है जिसमें सेंड की उपलब्धता के अनुसार रेत की उत्खनन क्षमता 36,000 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 36,000 घनमीटर/वर्ष है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानकारी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चत करायेगे।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
5. खदान संचालन भुरु करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरु. 8.35 लाख एवं रिकरिंग राशिरु. 3.50 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	90,000
1(b)	Water requirement- 2.5 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (500m in length × 5m in width)	1,50,000	30,000
3.	<u>PLANTATION SCHEME</u> Plantation at the boundary of the river. @ Rs. 150/plant. (1000X150= ₹1,50,000) b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (150X500= ₹ 75,000) c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (1250X50 = ₹ 62,500)	2,87,500	54,000
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (17 Trucks × 500 × 2 times in a year)	--	17,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution		30,000 30,000 20,000 20,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 21	20,000	4,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as	5,000	1,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 21 Labors - $21 \times 500 \times 2$)	-	21,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @ 20000×1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 21 workers - 21×1500)	31,500	6,300
12	Shelter rooms for labors (15×20 ft) =300 Square feet	1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system	10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.	15,000	3,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.	6,000	
16	Provide Rs 1,00,000/- for distribution of LED bulbs to village farmers for carbon foot print.	1,00,000	10,000
Total		8,35,000/-	3,50,300/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशिरु. 1,00,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम ताली रोहनिया में रोड लाईट के लिए ।	20,000
ग्राम ताली रोहनिया के शशासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 80,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ताली रोहनिया के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	80,000
कुल	1,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1150 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 1250 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास	1000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

		4–5 पंक्ति – कटंग बांस 6 पंक्ति – करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां, (ट्री गार्ड के साथ)	150
3	ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नीबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1250
कुल			2,400

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा– प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

30. Case No 11283/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Khirwa-1 Sand Quarry in an area of 6.510 ha. (101556 cum per year) (Khasra No. 1315), Village-Khirwa, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP) [444178] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशीलकुमार पाठक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाईन,

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

मेसर्स कॉर्पोरेशन रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशीलकुमार पाठक कनिश्ठ प्रबंधक (अधिकृत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश ।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. –1315 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 6.510 हे.
स्थल	ग्राम – खिरवा, तहसील –विजयराघवगढ़, जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ–19–2–2019–बारह–1 पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित ।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।	
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये ।	
प्रकरण की स्थिति	बी–1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम – खिरवा–1 रेत खदान, दिनांक – 12 / 11 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा खिरवा–1 रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 1,01,556 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार रेत – 1,01,556 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 15.00 है. है, इस प्रकार कुल रकबा 21.15 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 2167 दिनांक 21/09/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ अम गान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन ग्रील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/ नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खिरवा जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 01 दिनांक 16/08/2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थिल नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति एवं नदी का नाम।	महानदी नदी। खदान क्षेत्र का अधिकांशभाग सूखा हुआ है।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18/09/2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक-33 एवं पेज नं.-31 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 03 / 04 / 2024, को संपन्न हुई इस दौरान जो भी आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
--	---

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में झब्बा हुआ है अतः नॉन माइनिंग एरिया 2.575 हेक्टेयर छोड़ा गया है एवं खनन हेतु शेष 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध होता है । खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र एवं गहराई 3.0 मी. को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता रेत—1,01,556 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है ।

1. **अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 1,01,556 घनमीटर/वर्ष है।**
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकरी नहीं दे पाये, यदि पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति जारी हुई हो तो इसका पालन एक वर्ष में जिला खनिज अधिकारी सुनिश्चित करायेगे ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. खदान संचालन भुरुल करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभियंत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशिरु. 14.98 लाख एवं रिकरिंग राशिरु. 5.49 लाख प्रति वर्ष ।

S. No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	
1(b)	Water requirement- 5.0 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 240 working days.		1,80,000
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (1000m in length × 5m in width)	2,50,000	70,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3.	<u>PLANTATION SCHEME</u>		7,75,500	50,000
		Plantation at the boundary of the river. @ (2500X150= Rs. 150/plant.)		
		b) Plantation at the haulage road: @ Rs. 500/plant. (300X500= ₹ 75,000)		
		c) Plantation in the nearby village area and distribution to villagers @ Rs.50/plant (5000X50 = ₹ 2,50,000)		
4	Half yearly PUC certification for trucks @500/truck (47 Trucks × 500 × 2 times in a year)		--	47,000
5	Monitoring (AAQM, Noise, Soil & Water twice in a year) Pollution Monitoring i) Air pollution ii) Water pollution iii) Soil Pollution iv) Noise Pollution			
			30,000	30,000
			20,000	20,000
			30,000	30,000
6	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/12 labour @ Rs. 10,000/cooler). Total Workers deployed are 55		50,000	10,000
7	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.		30,000	3,000
8	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), and Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 55 Labors -55× 500 × 2)		-	55,000
10	First Aid Box &Firefighting equipment's @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
11	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 55 workers - 55× 1500)		82,500	9,300
12	Shelter rooms for labors (15*20 ft) =300 Square feet		1,50,000	5,000
13	Two dustbins & development of solid waste management system		10,000	2,000
14	Miscellaneous Expenses such as follows: One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) Display Board at mine entrance.		20,000	5,000
15	Providing 2 Gas cylinders under Ujjwala Yojana to		6,000	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	Labours which results no fuel wood will be used as a source of energy by mineworkers. @ 3000 Rps /Connection.		
16	Provide 1,00,000/-INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint	1,00,000	10,000
	Total	14,98,500/-	5,49,300/-

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशिरू. 2.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि(रु.में)
ग्राम खिरवा में रोड लाईट के लिए ।	20,000
खिरवा ग्राम के आंगनवाड़ी अधोसरचना विकास के लिए राशि प्रदान की जावेगी	40,000
ग्राम खिरवा में नाली निर्माण हेतु ।	40,000
ग्राम खिरवा के शशासकीय स्कूल में अधोसरचना विकास में सहयोग हेतु 1,00,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति बरुआ के बैंक खाते में भू – प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	1,00,000
कुल	2,00,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2800 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 5000 वृक्षों का वितरण :—

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्कियों में)	1–3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास, गटायन के बीज एंव स्थानीय घास 4–5 पंक्ति — कटंग बांस 6 पंक्ति — करंज, जामुन, खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एंव चिरोल, आम, गरारी अन्य फलदार वृक्ष एंव स्थानीय प्रजातियाँ	2500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री–गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एंव स्थानीय प्रजातियाँ, (ट्री गार्ड के	300

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

		साथ)	
3	ग्राम वासियों मे वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगा सीताफल, नीबू बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	5000
कुल			7800
✓	वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेत्क हेत्य ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।		
✓	प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।		
✓	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे।		
टीप: वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

31. Case No 11272/2024 Shri Sushil Pathak, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Gudeha Lukampur Sand Quarry in an area of 5.20 ha. (78000 cum per year) (Khasra No. 328, 956), Village-Gudeha, Lukampur, Tehsil-Vijayraghavgarh, District-Katni (MP) [444881] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 16/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक प्रतिनिधि श्री सुशीलकुमार पाठक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्य प्रदेशराज्य खनिज निगम लि. एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार, ऑनलाईन मेसर्स कॉन्फीजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री सुशीलकुमार पाठक कनिष्ठ प्रबंधक (अधिकत व्यक्ति) मेसर्स दि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लि.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	पता – पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्य प्रदेश।	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	खसरा नं. – 328, 956 (शासकीय भूमि नदी)	क्षेत्रफल – 5.20 हे.
स्थल	ग्राम – गुडेहा–लुकमपुर तहसील – विजय राजगढ़ , जिला – कटनी, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेशशासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक – एफ-19-2-2019-बारह-1 पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के लिए आवंटित।	
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।	
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ड एस आर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	डी एस आर अनुसार एवं नवीन कोर्डिनेट्स जोड़े गये।	
प्रकरण की स्थिति	बी-1 श्रेणी, नया प्रोजेक्ट	
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम गुडेहा–लुकमपुर रेत खदान, दिनांक – 08 / 11 / 2023	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सिया द्वारा गुडेहा–लुकमपुर रेत खदान के लिए स्टेन्डर्ड टॉर दिनांक 31 / 01 / 2024 को जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत – 78,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत – 78,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2171 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं हैं।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2171 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार 10 किलो मीटर की परिधि में ने अनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है। एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2171 दिनांक 21 / 09 / 2023 के अनुसार पक्का रास्ता 300 मीटर की दूरी पर हैं तथा नाला नदी से	

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	जुड़ा हुआ है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुडेहा जिला कटनी के अनापत्ती पत्र दिनांक 16 / 08 / 2023 के अनुसार प्रस्तावित स्थलपर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है ।
नदी का नाम ।	महानदी नदी ।
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	18 / 09 / 2023
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उपरोक्त खदान का विवरण जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-29 के सरल क्रमांक-38 एवं पेज नं.-61 के सरल क्रमांक-32 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की जन सुनवाई दिनांक 02 / 04 / 2024, को संपन्न हुई । आपत्तियाँ / सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान समिति ने पाया लीज क्षेत्र में जलभराव है अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से लीज क्षेत्र के जियोटेग फोटोग्राफ सहित खनिज अधिकारी से उत्खनन की संभावना के संबंध में प्रतिवेदन के साथ ही पिछले 03 वर्षों का उत्पादन सत्यापित करा कर के प्रस्तुत करने के निर्देश दिये ।

32. Case No 10909/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bavari-2 Sand Quarry Deposit in an area of 18.00 ha. (324000 cum per year) (Khasra No. 137/1, Village-Babri, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447389] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
----------------	---

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 18.00 Ha.		
स्थल	Village – Bavri-2 & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P.)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	नहीं		
संशोधित माईनिंग प्लान का वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा ।	नहीं		
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है नर्मदा नदी पर है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (बावरी) दिनांक - 07.01.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 3,24,000 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	प्रमाण—पत्र क्रमांक 855/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 22.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 855/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 855/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बावरी जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को आपत्ति नहीं है।
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—15 के सरल क्रमांक— 99 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई इस दौरान जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 18.0 है. क्षेत्र में उत्थनन

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—3,24,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 27.05 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 8.83 लाख प्रति वर्ष।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक धाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और धास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 800 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	80,000	10,000
3	Plantation (46500 plants will be planted & Distribution during the first year).	16,20,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 225 Labour @ 500 Rs. = 1,12,500Rs./twice per year @500 x 2 x 225	Nil	2,25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 225 labor @1000 Rs.	2,25,000	1,00,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	27,05,000	8,83,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	रेजिस्टर्ड गौशाला के खाते में राशि जमा की जाएगी	1,00,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	2,20,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	3,600
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	3,600
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	14,400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख—रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

33. Case No 10941/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Gwadi Sand Quarry Deposit in an area of 4.00 ha. (67200 cum per year) (Khasra No. 37/1), Village-Guwadi, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447229] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 4.00 Ha.		
स्थल	Village – Gwadi & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।		
स्वीकृत मार्झिनिंग	मार्झिनिंग प्लान	डीएसआर	हॉ

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	नर्मदा नदी पर है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (गवाडी) दिनांक - 08.01.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 67,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 45528 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 857/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 29.59 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 857/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 857/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ग्वाड़ी जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • नर्मदा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-10 के सरल क्रमांक- 43 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15.03.2024 को संपन्न हुई इस दौरान जो भी आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के सबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 4.0 है. क्षेत्र में उत्खनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-67200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक-बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत – 67200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.45 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.62 लाख प्रति वर्ष ।
2. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल मार्झिनिंग संचालित की जावेगी ।
3. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
4. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
5. प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण मेन्यूअल मार्झिनिंग संचालित की जावेगी ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

6. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	60,000	6,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 2180 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	2,18,000	10,000
3	Plantation (3000 plants will be planted & Distribution during the first year).	2,25,000	20,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	25,000	5,000
8	Occupational health Survey 47 Labour @ 500 Rs. = 23,500 Rs./twice per year @500 x 2 x 47	Nil	47,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 47 labor @1000 Rs.	47,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	20,000	1,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	6,45,000	3,62,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 60000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम जवाड़ी में पहाड़ी पर प्राचीन धार्मिक स्थल बाबा धाम में सीढ़ी बनाने हेतु एवं नर्मदा तट पर सीढ़ी बनाकर सीमेन्टीकरण किया जाने हेतु	60,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	गांव के पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	500
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनबाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बौस पौधे प्रदाय किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

- 34. Case No 10884/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Nimsadiya 4 Sand Mine in an area of 30 ha. (432000 cum per year) (Khasra No. 1163), Village-Nimsariya, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) [447377] (EIA)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :—

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 30.00 Ha.		
स्थल	Village — Nimsadiya-4 & Tehsil — Narmadapuram, District — Narmadapuram (M.P)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।		
लीज का नवीनीकरण (यदि होतो)	नया प्रोजेक्ट।		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
नदी का नाम	तवा नदी		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (निमसाडिया-4) दिनांक - 07.01.2024		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टाँर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 4,32,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 4,32,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 791/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 85.606 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 791/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 791/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संरथान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संरथान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निमसाडिया-4 जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	नहीं
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-12 के सरल क्रमांक— 64 पर दर्ज है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 11.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
---	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अनुसार 30.0 है. क्षेत्र में उत्खनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 4,32,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 36.06 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.83 लाख प्रति वर्ष।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 710 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	71,000	10,000
3	Plantation (36000 plants will be planted & Distribution during the first year).	27,00,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

5	For reducing Carbon foot print - Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 55 Labour @ 500 Rs. = 27500 Rs./twice per year @500 x 2 x 55	Nil	55,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 55 labor @1000 Rs.	55,000	50,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		36,06,000	4,83,000

CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 3.32 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निमसडिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी	10,0,000
2	प्राथमिक स्कूल हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी	1,00,000
3	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	1,32,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करोंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	6,000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	6,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	24,000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /अंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधरोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

35. Case No 10887/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Ramgarh 1 Sand Quarry Deposit in an area of 11 ha. (184800 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Ramgarh, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447461] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

(सरकारी / निजी)	11.00 Ha.			
Mineable Area	8.18 Ha			
Mineable Reserve	1,37,424 Cubmeter /year (Submerged due Water)			
स्थल	Village – Ramghar & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)			
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ	
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है नर्मदा नदी पर है			
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट			
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (रामगढ़) दिनांक - 05.01.2024			
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं			
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर			
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,84,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 1,37,424 घनमीटर/वर्ष है।			
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 845/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 22.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।			
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 845/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का			

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

उल्लेख)	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 845/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामगढ़ जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
नदी का नाम	नर्मदा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक—12 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 11.0 है. क्षेत्र में उत्खनन हेतु अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—1,37,424 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.84 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.88 लाख प्रति वर्ष ।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण मेन्युअल माईनिंग संचालित की जावेगी ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	80,000	15,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 200 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	20,000	5,000
3	Plantation (13,200 plants will be planted & Distribution during the first year).	9,90,000	50,000
4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	35,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	40,000	10,000
8	Occupational health Survey 129 Labour @ 500 Rs. = 64,500 Rs./twice per year @500 x 2 x129	Nil	1,29,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 129 labor @1000 Rs.	1,29,000	10,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	10,000	1,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		14,84,000	4,88,000

3. CER Table

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 90000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम रामगढ़ के शासकीय स्कूल में मरम्मत हेतु	40,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	50,000

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	4000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुट, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	4000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएंगी	6000

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा।
✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/छाड़ा नहीं जायेगा।
✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे।
✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

36. Case No 10904/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Gurajghat Sand Mine in an area of 9 ha. (135000 cum per year) (Khasra No. 1/1), Village-Gurajghat, Tehsil-Seoni-Malwa, District-Hoshangabad (MP) [447465] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपरिथिल हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 9.00 Ha.		
Mineable Area	2.25 Ha		
Mineable Quantity	33750 cubm/year (Due to submerged and Agriculture land)		
स्थल	Village – Gurajghat & Tehsil – Seoni Malwa, District – Narmadapuram (M.P)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31 / 05 / 2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट।		
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
नदी का नाम	रेत की खदान है - गंजल नदी		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (गुरुंजघाट) दिनांक - 06.01.2024
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 1,35,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 33750 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 851/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान नहीं है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 851/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 851/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुरुंजघाट जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक— 15 पर दर्ज है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 18.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।
---	---

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरण स्वीकृति के संबंध में जानाकारी दी गई कि यह नवीन खदान है पूर्व में इस खदान को पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं हुई है। समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र पानी में झबा हुआ है और कुछ जगह कृषि भूमि है अतः खनन हेतु 2.25 हेक्टेरयर खनन क्षेत्र हेतु उपलब्ध होता है उपलब्ध क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुये रेत की उत्पादन क्षमता 33750 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जा सकती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—33750 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.96 लाख प्रति वर्ष ।
- नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थिल वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST		Budget Provisions (Rs)	
S NO.	Particulars	Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	60,000	6,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 287 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	28,700	2,000
3	Plantation (2000 plants will be planted & Distribution during the first year).	1,75,000	10,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

4	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	20,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	25,000	5,000
8	Occupational health Survey 94 Labour @ 500 Rs. = 47,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 94	Nil	94,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 94 labor @1000 Rs.	94,000	10,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	20,000	1,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		6,02,700	3,96,000

3. CER Table

सी.इ.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 25000 तथा सी.इ.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम गुरांजघाट के आंगनवाड़ी केन्द्र मे पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा	25,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	500
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	500

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	1000
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /अंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

37. Case No 10955/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Nimsadiya 2 Sand Mine in an area of 20.243 ha. (242916 cum per year) (Khasra No. 1163), Village-Nimsariya, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) [447202] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh
खसरा नं./ क्षेत्रफल	शासकीय

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

(सरकारी / निजी)	20.243 Ha.		
स्थल	Village — Nimsadiya-2 & Tehsil — Narmadapuram, District — Narmadapuram (M.P)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ—19—2—2019—बारह—1पार्ट—6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।		
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	रेत की खदान है तवा नदी पर है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (निमसाडिया-2) दिनांक - 07.01.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 2,42,916 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 2,42,916 घनमीटर/वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 787/(खनिज/2023—24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 3 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 80.483 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 787/(खनिज/2023—24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 787/(खनिज/2023–24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत निमसाडिया-2 जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
नदी का नाम	<ul style="list-style-type: none"> • रेत की खदान है • तवा नदी पर है
सिया में इसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-6 के सरल क्रमांक-3 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 11.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेप्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत-2,42,916 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 27.81 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.53 लाख प्रति वर्ष ।
6. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

2. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 1350 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	1,35,000	10,000
3	Plantation (24292 plants will be planted & Distribution during the first year).	18,21,870	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 45 Labour @ 500 Rs. = 22500 Rs./twice per year @500 x 2 x 45	Nil	45,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 45 labor @1000 Rs.	45,000	50,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
	Total EMP Cost	27,81,870	6,53,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 90000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक न.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम निमसडिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु	40,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	50,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4049 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	4,049
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	4,049
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	16,194
<ul style="list-style-type: none"> ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा। ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGERED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे। ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख-रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। 			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

38. Case No 10911/2023 Shri Gopal Singh, Junior Manager (Field), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Dogarwada Sand Mine in an area of 5.00 ha. (90000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

cum per year) (Khasra No. 03), Village-Dongarwada, Tehsil-Hoshangabad, District-Hoshangabad (MP) [447250] (EIA)

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 16.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, (Authorized Person – Gopal Singh) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

2. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s The M.P. State Mining Corporation Ltd, Address: Paryawas Bhawan, Block No. 'A', II Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh Authorized Person: Gopal Singh		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	शासकीय 5.00 Ha.		
स्थल	Village — Dongarwada & Tehsil — Narmadapuram, District — Narmadapuram (M.P)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-19-2-2019-बारह-1पार्ट-6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षों के आवंटित ।		
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो)	नया प्रोजेक्ट ।		
स्वीकृत मार्झिनिंग प्लान / डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	मार्झिनिंग प्लान हॉ	डीएसआर हॉ	हॉ
नदी का नाम	नर्मदा नदी		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट (डोंगरवाडा) दिनांक - 07.01.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नहीं		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	स्टैन्डर्ड टोर		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत 90,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत 85320		

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदाने	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदाने संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकमा 22.100 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थिल नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थिल नहीं है। (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थिल है तो दी गई शर्तों का उल्लेख)
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नर्मदापुरम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 751/(खनिज/2023-24 दिनांक 03.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत डोंगरवाडा जिला नर्मदापुरम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 24.03.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	नया प्रोजेक्ट
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-7 के सरल क्रमांक- 22 पर दर्ज है।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो)	प्रस्तावित खदान की दिनांक 11.03.2024 को संपन्न हुई आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण दौरान पाया कि लीज क्षेत्र में नदी में मिलने वाले नाला के बहाव को सतत बनाये रखने हेतु सेटबेक देने के बाद खनन योग्य उत्थनन क्षेत्र 4.74 है. है जिसमें सेंड की उपलब्धता के अनुसार रेत की उत्थनन क्षमता 85,320 घनमीटर/वर्ष की अनुशंसा की जाती है।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तों एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेपडर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार खनन क्षेत्र 4.74 हे. में अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत— 85,320 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

1. प्रस्तावित खनन कार्य नर्मदा नदी पर होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी।
2. नदी के न्यूनतम 05 मीटर तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाड़ियों एवं लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
3. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
4. प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षेत्र नर्मदा नदी में होने के कारण मेन्यूअल माईनिंग संचालित की जावेगी।
5. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13.22 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.38 लाख प्रति वर्ष।

EMP Table (Capital & Recurring Cost)

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation (Three Times in day)	3,00,000	60,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 2 tanker x 100 Rs./per day X 240 days	Nil	48,000
2	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 620 m , Width 6.0m) @ 100Rs./Meter	62,000	10,000
3	Plantation (6000 plants will be planted & Distribution during the first year).	4,50,000	2,00,000
4	Monitoring twice a year (Air, Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
Carbon Sequestration			
5	For reducing Carbon foot print - Trees Adaptation	1,50,000	1,50,000
Labour Welfare			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	1,00,000	2,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

7	Separate toilets for Male & Female No. of 5	1,00,000	10,000
8	Occupational health Survey 30 Labour @ 500 Rs. = 15000 Rs./twice per year @500 x 2 x 30	Nil	30,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 30 labor @1000 Rs.	30,000	50,000
10	First Aid Kits , Number of kits 50	1,00,000	10,000
Solid Waste Management			
11	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	25,000
12	Signage and Caution Board	30,000	3,000
Total EMP Cost		13,22,000	6,38,000

3. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 70000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :— (भू—प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

क्रमांक नं.	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
1	ग्राम डोगरवाडा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के अधोसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी	20,000
2	सतपुरा टाइगर रिजर्व एको समिति के विकास हेतु	50,000

12. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बौस, बेर, आम, शहतूत, लसोडा एवं स्थानीय प्रजातियाँ।	1,000
2	गांव के पंचायत भवन आंगनवाड़ी केंद्र एवं शासकीय विद्यालय में पौधे लगाए जाएंगे	आँवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	1,000
3	आस पास के गांवों में वितरित-(पौधे की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर) किया जाना	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाये, सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ लगाई जाएगी	4,000

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोथों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।
- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोथे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जाएंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जायेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

39. Case No. P-2/520/24 Shri ANMEET TREHAN, Lessee, R/o- 6/1 Kantaphod, Tehsil - Satwas, District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.00 ha. (Stone – 5000 M3/Year) (Khasra No. 241/2, 243/1 & 243/2), Vill.-Badhawa, Tehsil-Satwas, District- Dewas (M.P.)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिससे खसरा नं. 41/2, 243/1 & 243/2) उल्लेखित हो गया था जबकि 241/2, 243/1 & 243/2 होना चाहिए था ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित खसरा नं. 41/2, 243/1 & 243/2 के स्थान पर 241/2, 243/1 & 243/2 पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा / शर्तें यथावत रहेंगी ।

40. Case No. P-2/513/24 Shri AADI GORECHA, Lessee, R/o-114, Dhan Mandi, Ratlam, District- Ratlam, M.P. Prior Environment Clearance for Gitti in an area of 1.298 ha. (Gitti – 9,700 m3/year) (Khasra No. 17/2, 17/3), Village- Rojana, Tehsil- Jaora, and District- Ratlam (M.P.) TOR

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को टॉर हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिससे उत्पादन क्षमता Gitti – 700 m3/year उल्लेखित हो गया था जबकि Gitti – 9,700 m3/year होना चाहिए था ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को पूर्व टॉर हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता Gitti – 700 m3/year के स्थान पर Gitti – 9,700 m3/year पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा / शर्तें यथावत रहेंगी ।

41. Case No 11165/2024 Shri Surendra Goud, Lessee, R/o 05, Radhaganj, District-Dewas (MP)-455001 Prior Environment Clearance for Kalma Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Stone-25000 cum per year & Murrum-6480 cum per year) (Khasra No. 896), Village-Kalma, Tehsil-Tonk Khurd, District-Dewas (MP) [449410] [DEIA A] (TOR)

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 743वीं बैठक दिनांक 27/05/2024 को टॉर हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिससे उत्पादन क्षमता अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिर्वाव अधिकतम 6480 घनमीटर/वर्ष मुर्रम उल्लेखित हो गया था जबकि Stone-25000 cum per year – Murrum-6480 cum per year होना चाहिए था ।

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को पूर्व टॉर हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता अधिकतम 25,507 घनमीटर/वर्ष पत्थर गिर्वां व अधिकतम 6480 घनमीटर/वर्ष मुर्खम के स्थान पर Stone-25000 cum per year –Murrum-6480 cum per year पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी।

42. Case No. 9947/2024 M/S VIJAY & COMPANY, Rai Bhawan, Katni Road P.oO.- Maihar, District- Satna, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.962 ha. (1,15,026 cum per annum) (Khasra No. 904, 905) Village-Bathia, Tehsil- Maihar, District- Satna (M.P.) EIA

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिसमें Shri Om Prakash Rai, Owner, M/S VIJAY & COMPANY एवं परियोजना प्रस्तावक श्री ओम प्रकाश राय, ऑनलाईन उपस्थित थे उल्लेखित हो गया था जबकि M/S VIJAY & COMPANY एवं श्री आनन्द यादव, अधिकृत प्रतिनिधि M/S VIJAY & COMPANY होना चाहिए था।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित Shri Om Prakash Rai, Owner, M/S VIJAY & COMPANY एवं परियोजना प्रस्तावक श्री ओम प्रकाश राय, ऑनलाईन उपस्थित थे के स्थान पर M/S VIJAY & COMPANY एवं श्री आनन्द यादव, अधिकृत प्रतिनिधि M/S VIJAY & COMPANY पढ़ा जावें शेष अन्य अनुशंसा/शर्ते यथावत रहेंगी।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled “Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area”.
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 मई 2024

36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
38. कशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
 - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
 - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में युनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्ठिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्प्रवान उपरोक्त होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 मई 2024

- i. The Licensee must use minimum number of poclaims and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m in the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट मार्झिनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP).
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 16 मई 2024

23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yeears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 मई 2024

concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, कैचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मलिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाई-गुडाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ औंगनवाड़ी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इतजाम जैसे फेसिङ/ ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/ नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/ स्कूल/ औंगनवाड़ी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाई-गुडाई, थाला (1.5 मी. गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात देख-रेख –

- स्थानीय तर पर बीज संग्रहण एवं गुडाई/ जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण । जामुन, मड़ूआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात रोपण ।
- अंकुरण पश्चात 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाई-गुडाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15
---	--	--

752 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 16 मई 2024

	पंकित शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगोव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	सेंटीमीटर)
2	4 पंकित से 5वीं पंकित (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंकित 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंकित हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंकितों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंकित हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगोव आदि)	पंकित से पंकित की दूरी 01 से 10.5 फीट पंकित में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवीं, छठवीं पंकित हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंकित की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंकित में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम् 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम् 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे

Additional TOR points for Minor Minerals -

(In addition to Standard TOR)

1. EIA for Cluster : Cumulative Impact study is to be carried out & Cluster EMP is to be prepared
2. Plantation scheme : Show numbers and species in tabular form
 - A- Government land
 1. In barrier Zone
 2. In non mining area (set back)
 3. Along evacuation route
 4. Other places like School, Panchyat Bhavan, Aganwadi, Tehsil Office, Police Thana, Forest chouki etc.
 5. Distribution to nearby farmers species of Fuel, fodder, Timber, Bamboo, Medicinal plants.
 - B- In Fodder Land

Develop the grass land and seed sowing & maintain upto 5 years, include the cost in EMP
 - C- Private land – fruit bearing plant or as P.P wants desire.
 - D- Seed sowing in garland drain and periphery of mine with local seeds of soil binding nature.
3. Set Back – Show setback in surface plan with legend as well as set back area as per the case, according to present rules (NGT/CPCB guidelines)

1. Dammar Road	14. Forest boundary /Revenue Forests
2. Village Road	15. Wildlife area /NP/WLS
3. कच्ची सड़क (WBM)	16. ESZ area
4. Haulage road	17. Hill(पहाड़ी) Ranges more than 1 km in length having more then 2-3 hillock ranges for landscape perspective.



5. Railway line
6. Wind mills
7. Agriculture land
8. Natural drainage
9. Nala/ river
10. Habitation,
11. Wells, Temples
- 12 Other structures
13. Historical monuments rare structures such as rocks, paintings, fossils and W.L. Niche/Archaeological Site if any.
4. **For blasting or for non blasting:** If mine lease area within-
 1. 250 m. of forest land
 2. ESZ areas , Buffer area
 3. If private land : Own/Agreement
 1. OWN
 2. Agreement if, 240 LRC, MMR rules
 3. Cost benefit ratio
 4. If grass land : grass land development & maintenance
 5. Catchment of the major river & its protection plan.
5. **If area is full of trees/ root stock- study to be carried out wrt,**
 - Ecosystem loss studies & remedial plan

- Eco service studies
- Wildlife conservation plan
- Protection plan
- Soil & water conservation plan
- Aero biological studies
- Study of Avian flora and fauna Dam due to cutting of vegetation, trees shrubs , ecological loss & assessment of damages and its mitigation plan
- Tree inventory inside the mine area including all types of vegetation: trees, shrubs – spp girth, height , name & number of plant inside the mines areas. Mention RET (Rare threatened and endangered) species if exist there

6. In case of expansion : area / production with wrt. MOEF&CC compliance report

Old given E.C: condition compliance of all points with photographs

- Plantation in barrier zone
- Garland drain
- Fencing
- Excavation as per mining plan
- CER activities: Certificate and photograph
- Old production (showing on surface plan)
- Dump areas

(A) If – Crusher & M-sand plantis in mining area

Surface plan includes (if surface map change than it should be in mining plan , map is to be changed before mining) :

1. Mining area /Non-mining area /Crusher area/Office
2. Barrier area zone
3. Set back for sensitiveness
4. Garlanding drain
5. Settling tank with sizes according to water surface plan
6. Crusher area /M.sand plant / Slurry
7. Dumping area year wise
8. Green area /Barrier area & in non-mining area
9. Fencing
10. M -sand : Slurry management
11. Carbon foot print

(B) **If crusher is outside of mines**

1. distance from the mining area
2. establish land status .
3. permission of land owner
4. carbon sequestration due to crusher & haulage

7. **SITE VISIT REQUIREMENTS :**

Consultant must visit the site for B₁ and B₂ areas both: Following information/data is required to be collected during site visit

1. Geo tagged photos: if cluster of trees exist within mining lease , any structure within sensitivity distance
2. Site photographs
3. Mining activities going in nearby areas
4. Assessment of water level of surrounding surface water and ground water sources

5. Assessment of availability of any grazing land in nearby areas after after having discussion with local people/Panchayat
6. For B2 cases : assessment of CER needs at local level through Van sammittee/Gram Panchayat/School Principal/Aganwadi worker/Patwari

8. Regarding Public hearing

- 1 . Names of villages around the mines area.
- 2 Village wise presence of people
- 3 Photograph
- 4 Map Showing the village name & population of the village which are situated around the mine.
- 5 Public interest works to be mentioned in CER ac activities
- 6 Distance from mines area in the following public places
 1. Habitation
 2. School
 3. Health centre
 4. other public places
 5. any sensitive area (men made structure / natural)

9. CER Activities

1. As demanded during the public hearing.
2. As needed or proposed during the presentation.

10. EMP as proposed in tabular form

11. Mining Activity.

(A) If - mines in PESA areas

- full fill the all PESA related requirements
- if land owner is tribal the collector order needed as per LPE 240 /8/9

(B) If- within the 500 mt. radius- existing mines

- owner name
- area
- Compliance of plantation, fencing, garlanding drain ,settling tank according to given EC.

(C) If M-sand proposed within 500 m of radius

- place on surface map
- slurry management
- Water requirement : Quantity & source

(D) If excavation route lies on private land

the permission of land owner for transportation.

(E) Carbon foot print study- If production is more than below given threshold values subject to production.

1. Stone - $10,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with crusher, $15000 \text{ m}^3/\text{yr}$ without crusher
2. murum- $20,000 \text{ m}^3/\text{yr}$
3. Clay – $30,000 \text{ m}^3/\text{yr}$ with kiln & chimney

(F) Soil profile Not less then 3 pits per ha. with.

12. Miscellaneous

(A) Provision of Fogging machine for dust control:

If Stone production is more than 1 Lakh m³/yr then provision of fogging machine for dust control in EMP is to be made.

(B) De-watering plan if old pit is filled with water & use of water –

(C) In case of any change in method of mining, or change of surface plan due to any sensitive features Approval from concern Mining officer

(D) If there is difference in geo coordinate is observed in B1/B2 or in any case as given in mining plan or DSR, then approved geo-coordinate to be submitted as approved by Mining Officer of concerned district.

**Member
(SEAC)**

**Chairman
(SEAC)**